राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 174वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 174वीं बैठक दिनांक 26/06/2024 को अपरान्ह 12:30 बजे से आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा उपस्थित प्राधिकरण के सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 — **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 173वीं बैठक दिनांक 20/05/2024 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 173वीं बैठक दिनांक 20/05/2024 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे प्राधिकरण के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से प्राधिकरण सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 — **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 518वीं, 519वीं, 521वीं एवं 522वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/03/2024, 12/03/2024, 27/03/2024 एवं 28/03/2024 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स गुरूदेव स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मुकेश जैन), ग्राम–पाारागांव, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2818)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 453682 एवं 29/11/2023	
खदान का प्रकार	फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित

क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.96 हेक्टेयर एवं 9,030 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	1859(पार्ट)	संलग्न है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मुकेश जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
भू-स्वामित्व	निजी भूमि भूमि मैसर्स गुरूदेव स्टोन, प्रो.– श्री मुकेश जैन के नाम पर है।	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में ई.सी. धारक – मैसर्स आनंद स्टोन इंडस्ट्रीज, प्रोपराईटर – श्रीमती सपना सिंघानिया खदान का प्रकार – फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 1859 क्षेत्रफल – 0.96 हेक्टेयर क्षमता – 9,030 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 03/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07/05/2042 तक है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का नाम हस्तांतरण नहीं हुआ है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 17/01/2023 वर्ष 2017–18 में 341.5 घन.मी.	संलग्न है।

	वर्ष 2018–19 में 488.5 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 485.75 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 618 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 271 घनमीटर	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पारागांव दिनांक 12/11/2011	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 12/10/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 17/01/2023	01 खदान, क्षेत्रफल 1.92 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 17/01/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर के भीतर महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – मेसर्स गुरुदेव स्टोन, प्रोपराईटर – श्री मुकेश जैन अवधि–08/05/2012 से 07/05/2042	पूर्व में लीज धारक – मेसर्स आनंद स्टोन, प्रोपराईटर – श्रीमती सपना सिंघानिया लीज हस्तांतरण – दिनांक 31/01/2020
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, रायपुर वन मण्डल रायपुर द्वारा जारी दिनांक 21/02/2024	वनक्षेत्र से दूरी – 17.61 कि.मी.।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – पारागांव 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम – पारागांव 500 मीटर अस्पताल – आरंग 6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 130 मीटर	महानदी – 120 मीटर
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेनुअल **माईनिंग प्लान अनुसार रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 55,860 घनमीटर (1,39,650 टन) माईनेबल 26,397 घनमीटर (65,992 टन) रिकवरेबल 19,798 घनमीटर (49,495 टन) प्रस्तावित गहराई 10 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 7 वर्ष से अधिक प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 9,030 टन द्वितीय 9,030 टन तृतीय 9,030 टन चतुर्थ 9,030 टन पंचम 9,030 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 2,801 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ

गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,377 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – ऑफिस बिल्डिंग	माईनिंग प्लान में उल्लेख – हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 4 मीटर मात्रा – 12,828 घनमीटर	7,800 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। 4,084 घनमीटर – पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भरण करने हेतु उपयोग। शेष 5,944 घनमीटर – लीज क्षेत्र में अस्थायी रूप से भण्डारित कर रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – टैंकरों के माध्यम से	ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 300 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 8,88,600 रुपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवित स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, लीज के 7.5 मीटर में भविष्य में भी कोई उत्खनन नहीं किये जाने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3.
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.89 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है, अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भरण किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VII(i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.27	2%	0.72	Following activities at Nearby, Village- Paragaon	
			Pavitra van nirman	6.41
			Total	**6.41**

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, कदंब, जामुन, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 66,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,08,000 रूपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,99,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,42,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पारागांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 333, क्षेत्रफल 1.210 हेक्टेयर में से 0.10 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

d) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लीज क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. मेसर्स गुरुदेव स्टोन क्वारी (प्रो. श्री मुकेश जैन) को ग्राम–पारागांव, तहसील–आरंग, जिला रायपुर के खसरा क्रमांक 1859(पार्ट) में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.96 हेक्टेयर, क्षमता–9,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/08/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक — मेसर्स गुरुदेव स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री मुकेश जैन) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:—

I. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग

फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण के तहत् किये जाने वाले कार्य के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लीज क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स छोटेकड़मा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कुरसम साम्बैया), ग्राम–छोटेकड़मा, तहसील–दरभा, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2096)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 79178 एवं 29/06/2022 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 14/07/2022 जानकारी प्राप्त दिनांक – 24/02/2024	

खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.42 हेक्टेयर एवं 62,500 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	169, 170, 175, 176, 177 एवं 179	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	भूमि खसरा क्रमांक 170, 176, 179 आवेदक एवं खसरा क्रमांक 169, 175, 177 श्रीमती सण्ड्रा लक्ष्मी के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त – हाँ
बैठक का विवरण	518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 07/03/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री कुरसम साम्बैया, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
पूर्व में जारी ई.सी.	इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी गई है।	–
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत बड़ेकड़मा दिनांक 05/12/2020	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 07/10/2021	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 22/09/2023	17 खदानें, क्षेत्रफल 28.92 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 22/09/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई. का विवरण	एल.ओ.आई. धारक – श्री कुरसम साम्बैया दिनांक – 19/07/2021 वैधता अवधि – 1 वर्ष	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 29/12/2023 वैधता अवधि – पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य की सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – बड़े कड़मा 1 कि.मी. स्कूल ग्राम – छोटे कड़मा 3.04 कि.मी. अस्पताल – जगदलपुर 21 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 4 कि.मी.	इन्द्रावती नदी – 24 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया स्थित नहीं है।	कार्यालय निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के पत्र क्रमांक 158, दिनांक 14/01/2022 से जारी पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से 3.73 कि.मी. एवं ईको सेंसेटिव जोन से 1.6 कि.मी. की दूरी पर है। समिति का मत है कि उपरोक्त बाबत् आवेदित क्षेत्र का वन्य जीव संरक्षण

		योजना तैयार कर वन विभाग के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत फाईनल ई.आई.ए. में शामिल करते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व –** जियोलॉजिकल 1.71 मिलियन टन माईनेबल 1.032 मिलियन टन प्रस्तावित गहराई 20.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 1.5 मीटर संभावित आयु 29 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 12,500 टन द्वितीय 25,000 टन तृतीय 37,500 टन चतुर्थ 50,000 टन पंचम 62,500 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 7,325.2 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं।
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 0.5 मीटर मात्रा – 13,043.92 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर	परियोजना हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति के स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,467 नग	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 32.34 हेक्टेयर है।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी.

रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई. ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit source of water requirement and its NOC for usage of water from competent authority.

iv. Project proponent shall submit the NOC from DFO, forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary & sanctuary.

v. Project proponent shall submit a Wildlife conservation plan from competent authority and incorporate in the EIA report.

vi. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

ix. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil & over burden would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xvii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of plantation & maintenance for 5 years & undertake plantation (as far as possible tree bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain minimum 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

3. **मेसर्स अछोली फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री कोमन लाल साहू), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1709)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /63920/2021, दिनांक 16/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /306971/2023, दिनांक 06/12/2023 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 84/1, 2, 3, 4, 85 एवं 89/2, कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर **के स्थान पर 0.49 हेक्टेयर** करते हुये टी.ओ.आर. में संशोधन किया जाना है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,140 टन (456 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1312, दिनांक 23/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का

स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ. आर. जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/09/2021 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में कुल क्षेत्रफल–0.57 हेक्टेयर **के स्थान पर 0.49 हेक्टेयर** किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"टी.ओ.आर. हेतु आवेदन पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति, अनुमोदित खनन योजना एवं माईनिंग विभाग द्वारा जारी क्लस्टर प्रमाण पत्र के आधार पर 0.57 हेक्टेयर हेतु किया गया था। चूँकि लीज अनुबंध रकबा 0.49 हेक्टेयर में किया गया है, जिसके आधार पर पुनः खनन योजना को संशोधित कर अनुमोदित कराया गया है।"

अतः उक्त प्रकरण में पूर्व में जारी टी.ओ.आर. में रकबा 0.57 हेक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.49 हेक्टेयर कर संशोधित टर्म्स ऑफ रिफरेंस जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही फार्म–03, अनुमोदित क्वारी प्लान, फार्म–01, प्री–फिजिबिलिटी, संशोधित 200 मीटर, संशोधित 500 मीटर, विगत वर्षों में किये गये उत्खनन संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 21/02/2024 को संपन्न 165वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण में पूर्व में जारी टी.ओ.आर. में रकबा 0.57 हेक्टेयर के स्थान पर रकबा 0.49 हेक्टेयर कर संशोधित टर्म्स ऑफ रिफरेंस जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस बाबत् फार्म–03, अनुमोदित क्वारी प्लान, फार्म–01, प्री–फिजिबिलिटी, संशोधित 200 मीटर, संशोधित 500 मीटर, विगत वर्षों में किये गये उत्खनन संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1312, दिनांक 23/09/2021 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में "रकबा 0.57 हेक्टेयर **के स्थान पर 0.49 हेक्टेयर**" किये जाने हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1312, दिनांक 23/09/2021 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण में पूर्व में जारी टी.ओ.आर. में रकबा 0.57 हेक्टेयर **के स्थान** पर रकबा 0.49 हेक्टेयर कर संशोधित टर्म्स ऑफ रिफरेंस जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1312, दिनांक 23/09/2021 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में "रकबा 0.57 हेक्टेयर **के स्थान पर** 0.49 हेक्टेयर" पढ़ा जाये।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रिफरेंस में संशोधन बाबत् पत्र जारी किया जाए।

4. मेसर्स श्री साईं मिनरल – वेस्ट साईड (टेम्परेरी परमिट) (पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह) ग्राम–सिलिपखना, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2635)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 434346/ 2023, दिनांक 23/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिलिपखना, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 2/1, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–39,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र सिंह, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण** – इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खारढोढी का दिनांक 25/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वॉरी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1728/ख.लि./स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 15/06/2023 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 221/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 22/06/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 217/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 21/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. मेसर्स श्री साईं मिनरल, पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 45 / खनि.शा. / 2023 जशपुर, दिनांक 24 / 04 / 2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्र. / मा.चि. / 2023 / 1283 जशपुर, दिनांक 31 / 03 / 2023 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   समिति का यह भी मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर स्थित वृक्षों की संख्या, प्रजाति, ऊंचाई के संबंध में वन संरक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिलीपखना 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–सिलीपखना 1 कि.मी. एवं अस्पताल सुरेशपुर 5 कि.मी दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. दूर है। कुरगेल नाला 2 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,56,000 टन, माईनेबल रिजर्व 90,480 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 95,337 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,800 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन(टन)
प्रथम	39,000
द्वितीय	39,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 470 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 28,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,10,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,400 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम

वर्ष में राशि 3,23,600 रूपये तथा कुल राशि 7,32,240 रूपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70	2%	1.40	Following activities at, Village- Sillpakhna	
			Pavitra Van Nirman	9.73
			Total	9.73

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम, पीपल, बेल, आंवला, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 55,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,48,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 7,25,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खरखेदी के सहमति उपरांत आश्रित ग्राम सिलीपखना के उपयोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 43/1/क क्षेत्रफल 20.7 हेक्टेयर में से 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में माईनेबल रिजर्व 90,480 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 96,337 टन का उल्लेख है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माईनेबल रिजर्व में माईनिंग लॉस की गणना करने के पश्चात भी रिकवरेबल रिजर्व की मात्रा माईनेबल रिजर्व से अधिक है, जो कि व्यावहारिक/तकनीकी रूप से संभव नहीं है। समिति का मत है कि रिजर्व की पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित खदान प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों की संख्या, प्रजाति की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ही लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक को उक्त क्षेत्र के लिए नवीन आशय पत्र जारी हुआ है लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है और भविष्य में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में रखा जावेगा एवं उसका उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा। खदान से निकलने वाली मिट्टी को कहीं भी बिक्री नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

30. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 221/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 22/06/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 1 खदान, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–सिलिपखना) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–सिलिपखना) को मिलाकर कुल रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
3. प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में माईनेबल रिजर्व 90,460 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 95,337 टन का उल्लेख है। माईनेबल रिजर्व में माईनिंग लॉस की गणना करने के पश्चात् भी रिकव्हरेबल रिजर्व की मात्रा माईनेबल रिजर्व से अधिक है, जो कि व्यवहारिक/ तकनीकी रूप से संभव नहीं है। अतः रिजर्व की पुनः गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
4. लीज क्षेत्र के भीतर स्थित वृक्षों की संख्या, प्रजाति, ऊंचाई के संबंध में वन संरक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
5. आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों को आवश्यकता पड़ने पर ही लीज क्षेत्र में अवस्थित पेड़ों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री साईं मिनरल – वेस्ट साईड (टेम्पररी परमिट) (पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह) को ग्राम–सिलिपखना, तहसील–पत्थलगांव, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक–2/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता – 78,000 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 03/11/2023 को संपन्न 159वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/10/2023 को निम्न जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है–

1. आवेदित लीज क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही पातन की कार्यवाही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल,

जिला–जशपुर के पत्र क्रमांक/मा.लि./2023/1280 जशपुर, दिनांक 31/03/2023 की अनापत्ति प्रदान की गई है तथा अनापत्ति में किसी भी प्रकार के वृक्षों का जिक्र नहीं किया गया है। लीज क्षेत्र से 250 मीटर का सर्वांल मनकाल गूगल मैप संलग्न किया गया है। आस पास कोई भी वन क्षेत्र नहीं है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि लीज क्षेत्र पहाड़ी है, लीज क्षेत्र के भीतर जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये केवल छोटी व बड़ी झाड़ियां मात्र है, वहां किसी भी प्रकार की इमारती लकड़ी या वन क्षेत्र नहीं है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान प्लान को संशोधित कर प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, परंतु खदान प्लान संलग्न नहीं किया गया है।

प्राधिकरण का मत है कि–

1. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित खदान प्लान मंगाया जाना आवश्यक है।
2. आवेदित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन क्षेत्र के अंतर्गत है अथवा नहीं, के संबंध में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।
3. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।
4. लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों के नाम एवं संख्या की जानकारी संबंधित कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से मंगाया जाना आवश्यक है।
5. लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 498वीं बैठक दिनांक 30/11/2023–

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. उपरोक्तानुसार संशोधित अनुमोदित खदान प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. आवेदित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन क्षेत्र के अंतर्गत है अथवा नहीं, के संबंध में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए। ।
3. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों के नाम एवं संख्या की जानकारी संबंधित कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 489वीं बैठक दिनांक 30/11/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/12/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:-

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3059/ख. लि.2/स्था./2023 रायगढ़, दिनांक 21/12/2023 द्वारा जारी अनुमोदन पत्र अनुसार उत्खनन योजना के पृष्ठ क्रमांक 11 एवं 14 रिकवरेबल रिजर्व में टंकन त्रुटिवश 67,766 टन (33,758 घनमीटर) के स्थान पर 95,237 टन (36,868 घनमीटर) किये जाने हेतु अनुमोदित किया गया है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि. /2023/1283 जशपुर, दिनांक 31/03/2023 के अनुसार आवेदित स्थल (ग्राम—सिलीनखाना, ग्राम पंचायत खरकोढ़ी, तहसील—पत्थलगांव, जिला जशपुर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 2/1 कुल रकबा 14.808 हेक्टेयर में से रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र) आरक्षित वन/संरक्षित वन अथवा असीमांकित संरक्षित वन की श्रेणी में नहीं आता है।
3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./2023/8004 जशपुर, दिनांक 06/12/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज से निकटतम वन क्षेत्र कक्ष क्रमांक पी.एफ. 1034 की दूरी 3.6 कि.मी. है।
4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./2023/8004 जशपुर, दिनांक 06/12/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज क्षेत्र में जीवित वृक्षों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/8004 जशपुर, दिनांक 06/12/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज क्षेत्र से निकटतम वन्यजीव अभ्यारण की दूरी 30 कि.मी. है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई थी एवं पुनः अनुशंसा की जाती है। पूर्व में निहित की गई शर्तें यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक — मेसर्स श्री साई मिनरल — रेत साईड (टेम्परारी परमिट) (पार्टनर श्री जितेन्द्र सिंह) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया.—

   I. ई.सी. जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग

फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण के तहत् किये जाने वाले कार्य के सत्यापन हेतु जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

5. मेसर्स एच. एस. इंटरप्राईजेस (प्रो.– श्री नीरज शर्मा, चोरभट्टी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–चोरभट्टी, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2878)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 446278 एवं 29/09/2023	
खदान का प्रकार	चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.46 हेक्टेयर एवं 2,50,000 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 2010/1	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री नीरज शर्मा, प्रोपराईटर	परियोजना प्रस्तावक उपस्थित हुये।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – चूना पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – पार्ट ऑफ 2010/1 क्षेत्रफल – 3.46 हेक्टेयर क्षमता – माईनिंग प्लान अनुसार उत्खनन करना होगा किंतु प्रथम वर्ष में 50,285.8 टन से अधिक नहीं होगा। दिनांक – 15/03/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–जांजगीर–चांपा
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ **क्षमता विस्तार के तहत्** – एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	निर्धारित शर्तानुसार 350 नग वृक्षारोपण किया गया है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 11/09/2023 2018–19 में 50,100 टन 2019–20 में 50,050 टन 2020–21 में 50,220 टन 2021–22 में 47,200 टन 2022–23 में 50,224 टन	अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चोरभट्टी दिनांक 03/12/2005	क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 25/05/2023	
500 मीटर	दिनांक 11/09/2023	अवस्थित खदानों की संख्या – निरंक
200 मीटर	दिनांक 11/09/2023	बरसाती नाला – 60 मीटर

लीज डीड	लीज धारक – मेसर्स एच. एस. इंटरप्राईजेस, प्रो.– श्री नीरज शर्मा अवधि – दिनांक 02/05/2006 से 01/05/2036 तक।	पूर्व लीज धारक – श्री शरद कश्यप लीज डीड हस्तांतरण– दिनांक 24/08/2018 को श्री मोहन लाल अग्रवाल पुनः लीज डीड हस्तांतरण – दिनांक 07/07/2020
वन विभाग एन.ओ.सी.	दिनांक 28/02/2006	वन क्षेत्र से दूरी – 1 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – पोरभट्टी 1.4 कि.मी. स्कूल – ग्राम – पोरभट्टी 1.4 कि.मी. अस्पताल – अकलतरा 7.9 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 3.25 कि.मी. राज्यमार्ग – 25.10 कि.मी.	नाला – 60 मीटर तालाब – 1 कि.मी. रेल पुल – 130 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 31,81,480 टन माईनेबल 18,40,130 टन प्रस्तावित गहराई 40 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 7.3 वर्ष क्रशर क्षेत्रफल 2,417 वर्गमीटर	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 2,50,000 टन द्वितीय 2,50,000 टन तृतीय 2,50,000 टन चतुर्थ 2,50,000 टन पंचम 2,50,000 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 5,302.5 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख – नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 2,417 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – क्रशर	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है।	
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल संबंधित विभाग/शाखा से एन.ओ.सी. – सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से प्राप्त।	
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 841 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–10,85,000 रूपये

परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजीटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत स्थानीय भर्ती सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रोजगार, खनिज नियमों के तहत सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है: 1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के सामान्य नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायाधीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 के writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2022 को जारी ऑफिस मेमोरेन्डम में दिये निर्देश का बिन्दुवार पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 3.46 हेक्टेयर है।

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल को गूगल के माध्यम से अवलोकन किये जाने पर एवं सरफेस जियोलॉजिकल प्लान में प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में स्थापित क्रशर का कुछ भाग प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले क्रशर के भाग को हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

3. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

   उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
54.12	2%	1.08	Following activities at Nearby, **Village- Chorbhatti**	
			Plantation around village pond	1.10
			Total	**1.10**

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 70 नग पौधों जिसमें से 20 नग पौधों वृक्ष पूर्व से तालाब के चारो ओर अवस्थित है। शेष 50 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,900 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 5,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 36,400 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 73,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत चोरभट्टी के सहमति उपरांत

यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1150, क्षेत्रफल 0.571 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 1151, क्षेत्रफल 0.963 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। **उपरोक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया।**

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा के.एम.एल. फाईल को गूगल के माध्यम से अवलोकन किये जाने पर तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण होना प्रदर्शित हो रहा है। अतः समिति का मत है कि सी.ई.आर. का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में आने वाले क्रशर के भाग को हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 4112, दिनांक 12/02/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार समस्त शर्तों का पालन किया जाना बताया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 257/ख.लि./2024 जांजगीर, दिनांक 14/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र

अनुसार अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
अप्रैल, 2023	8,000
मई, 2023	6,800
जून, 2023	8,000
जुलाई, 2023	6,000
अगस्त, 2023	8,400
सितम्बर, 2023	10,200
अक्टूबर, 2023	3,000
नवंबर, 2023	निरंक
दिसंबर, 2023	
जनवरी, 2024	

3. उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत चोरभट्ठी का दिनांक 06/12/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. सरफेस मैप के अनुसार क्रशर को लीज सीमा के अंदर 7.5 मीटर के सुरक्षा पट्टी से हटा लिया जायेगा। क्रशर को अनुमोदित उत्खनन योजना में क्रशर के लिए 7.5 मीटर की पट्टी के अलावा छोड़े गये उपलब्ध क्षेत्र में ही स्थापित करा लिया जायेगा। इस प्रकार से उत्खनन योजना में दर्शित रिजर्व में कोई अंतर नहीं आयेगा। उक्त आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

   लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान, सरफेस प्लान एवं जियोलॉजिकल प्लान प्रस्तुत किया गया है। साथ ही लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर 1,053 नग वृक्षारोपण किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पौधों के लिए राशि 1,15,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 87,750 रूपये, खाद के लिए राशि 78,975 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,78,710 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,00,765 रूपये आदि एवं अन्य कार्य हेतु राशि 5,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,67,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,80,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
54.12	2%	1.08	Following activities at Nearby, Village- Chorbhatti	
			Plantation around village pond	1.35
			Total	1.35

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 140 नग पौधे जिसमें से 40 नग पौधों वृक्ष पूर्व से तालाब के चारों ओर अवस्थित है। शेष 100 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 6,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 5,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 51,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 64,000 रूपये हेतु मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत चोरभट्टी के सहमति एवं सी.ई.आर. हेतु प्रस्तावित स्थान (खसरा क्रमांक 1150, क्षेत्रफल 0.571 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 1151, क्षेत्रफल 0.853 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स एन. एस. इंटरप्राईजेस (प्रो.– श्री नीरज शर्मा, चोरभट्टी लाईम स्टोन क्वारी) को ग्राम–चोरभट्टी, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा के खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 2010/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.46 हेक्टेयर, क्षमता–2,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक मेसर्स एन. एस. इंटरप्राईजेस (प्रो.– श्री नीरज शर्मा, चोरभट्टी लाईम स्टोन क्वारी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संरक्षण कर जियोटेग

फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के सत्यापन हेतु जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

6. मेसर्स मरकाडांड ब्रिक्स अर्थ एण्ड क्लिन क्वारी (प्रो.– श्री बलदेव प्रसाद जायसवाल), ग्राम–मरकाडांड, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2303)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416980/ 2023, दिनांक 08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–मरकाडांड, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 713/1, 713/2, 721, 722 एवं 714, कुल क्षेत्रफल–2.245 हेक्टेयर में से 1.31 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–712.26 घनमीटर (14,24,520 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री लक्ष्मीकांत जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नरकाडांड का दिनांक 19/08/2020 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान एलोंग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 21/ख.लि./क्वा./2023 रायगढ़, दिनांक 10/01/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला बलरामपुर रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 80/खनिज/उत्खनि./2023 बलरामपुर, दिनांक 06/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—बलरामपुर—रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 59/खनिज/उत्खनि/2023 बलरामपुर, दिनांक 08/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, धार्मिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भू—स्वामित्व** — भूमि खसरा क्रमांक 713/1, 721 श्री नारायण प्रसाद एवं श्री बलदेव प्रसाद, खसरा क्रमांक 713/2 श्री गिरजाशंकर, श्री देवशरण, श्री ईश्वर प्रसाद, कुमारी वंशिका एवं सुश्री शांतिमति, खसरा क्रमांक 722 एवं 714 श्री कौलेश्वर, श्री भुनेश्वर एवं श्री गोविन्द के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री नारायण प्रसाद, श्री ईश्वर प्रसाद एवं श्री कौलेश्वर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। उत्खनन हेतु अन्य भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** — एल.ओ.आई. श्री बलदेव प्रसाद जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला बलरामपुर—रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 704/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2022 बलरामपुर, दिनांक 13/12/2022 द्वारा जारी की गई, जो एक वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमंडल बलरामपुर, जिला—बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2018/7505 बलरामपुर, दिनांक 05/10/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम—नरकाडांड 1.38 कि.मी., स्कूल ग्राम नरकाडांड 1.38 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 93 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 87 कि.मी. दूर है। महानदी 585 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 26,200 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 21,567 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 548.33 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,225 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा, जिसकी फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई 35 मीटर प्रस्तावित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	712.26	14,24,520
द्वितीय	712.26	14,24,520
तृतीय	712.26	14,24,520
चतुर्थ	712.26	14,24,520
पंचम	712.26	14,24,520

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	712.26	14,24,520
सप्तम	712.26	14,24,520
अष्टम	712.26	14,24,520
नवम	712.26	14,24,520
दशम	712.26	14,24,520

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 260 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 19,760 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,21,300 रूपये, खाद के लिए राशि 1,950 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,09,010 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,72,432 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
43	2%	0.86	Following activities at Village- Markadand	
			Pavitra Van Nirman	13.15
			Total	13.15

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,053 नग पौधों के लिए राशि 80,020 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 82,500 रूपये, खाद के लिए राशि 7,098 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,16,418 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,99,052 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मरकाडांड की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान। (खसरा क्रमांक 168, क्षेत्रफल 0.421 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सरफेस प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा के अंदर चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित होना प्रदर्शित हो रहा है। समिति का मत है कि लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित किये जाने बाबत् संशोधित सरफेस प्लान अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. आवेदित लीज क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश के उपयोग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
19. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के समुचित रख-रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित किये जाने बाबत् संशोधित सरफेस प्लान अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. जिग-जैग किल्न की स्थापना किये जाने हेतु तकनीकी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) एवं ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश के उपयोग के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. आवेदित खदान में जिग–जैग पद्धति का चिमनी किल्न प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/05/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/07/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि खसरा क्रमांक 713/1, 721 श्री नारायण प्रसाद एवं श्री बलदेव प्रसाद, खसरा क्रमांक 713/2 श्री गिरजाशंकर, श्री देवशरण, श्री ईश्वर प्रसाद, सुश्री वंशिका एवं सुश्री शांतिमति, खसरा क्रमांक 722 एवं 714 श्री कौलेश्वर, श्री

भुनेश्वर एवं श्री गोविन्द के नाम पर है। उत्खनन हेतु श्री नारायण प्रसाद, श्री ईश्वर प्रसाद श्री गिरजाशंकर, श्री देवशरण, श्री भुनेश्वर, श्री गोविन्द एवं श्री कौलेश्वर का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 713/2 सुश्री वंशिका एवं सुश्री शांतिमति भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरों के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुए चिमनी (ब्रिक किल्न) स्थापित किये जाने बाबत् संशोधित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं कराया गया है एवं लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के बाहर चिमनी का कुछ भाग स्थापित होना प्रतीत हो रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर संशोधित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. जिग–जैग किल्न की स्थापना किये जाने हेतु तकनीकी जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? की जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में समिति का मत है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) जो खदान से निकलेंगे उसका उपयोग हम पौधों के संरक्षण जैसे किनारे पैकिंग ट्री गार्ड की तरह तथा रोड मेंटेनेंस के लिए करेंगे तथा कोयला जलने के बाद जो ऐश निकलेगा उसका उपयोग हम वापस मिट्टी के साथ मिलाकर ईंट निर्माण में उपयोग करेंगे।

7. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए तिरपाल/टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. आवेदित खदान में जिग-जैग पद्धति का चिमनी किल्न प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों में किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह नहीं किये जाने एवं जल स्त्रोतों के संरक्षण व संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान में स्थानिय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. खदान के चारों तरफ 1 मीटर की बाउंड्री छोड़ी गई है। उस पर फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण का कार्य करवाउंगा। तथा लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी एवं सीईआर के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन कार्य नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किया जायेगा, साथ ही उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. सी.ई.आर. के अन्तर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 713/2 सुश्री वंशिका एवं सुश्री शांतिमति भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के बाहर चिमनी का कुछ भाग स्थापित होना प्रतीत हो रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर संशोधित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं? के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. उत्खनन हेतु भूमि खसरा क्रमांक 713/2 सुश्री वंशिका एवं सुश्री शांतिमति भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के बाहर चिमनी का कुछ भाग स्थापित होना प्रतीत हो रहा है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर संशोधित सरफेस प्लान प्रस्तुत किया गया है।
3. खनि निरीक्षक, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज द्वारा प्रभारी अधिकारी, जिला–बलरामपुर को दिनांक 27/09/2022 द्वारा स्थल निरीक्षण के संबंध में प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार "आवेदित लीज क्षेत्र से नजदीक गांव की दूरी 800 मीटर से अधिक है तथा आवेदित क्षेत्र से 1,000 मीटर पर कोई ईंट भट्ठा नहीं है।" का उल्लेख है।
4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 60/खनिज/उत्खनि./2023 बलरामपुर, दिनांक 06/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–मरकाडांड) का क्षेत्रफल 1.31 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का

कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मरकाडांड ब्रिक्स अर्थ एण्ड किलन क्वारी (प्रो.– श्री बलदेव प्रसाद जायसवाल) को ग्राम–मरकाडांड, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 713/1, 713/2, 721, 722 एवं 714 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.245 हेक्टेयर में से 1.31 हेक्टेयर, क्षमता–712.26 घनमीटर (14,24,520 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मरकाडांड ब्रिक्स अर्थ एण्ड किलन क्वारी (प्रो.– श्री बलदेव प्रसाद जायसवाल) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण के तहत् किये जाने वाले कार्य के सत्यापन हेतु जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. ईंट का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। ईंट का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

7. **मेसर्स वंदना इंटरप्राईजेस (प्रो.– सुनील कुमार अग्रवाल, बेलसरा डोलोमाईट स्टोन माईन), ग्राम–बेलसरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1760)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 64481/2021, दिनांक 09/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416379/2023, दिनांक 17/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेलसरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 219/3 एवं 220, कुल क्षेत्रफल–1.918 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,323.75 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सोल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री पूनम मंगलम उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलसरा का दिनांक 29/03/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/खनि/डोलोमाईट उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/डोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.523 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/डोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स वंदना इंटरप्राईजेस के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2321/गौण खनिज/न.क्र.11/2020–21 बिलासपुर, दिनांक 02/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर, अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 142/खलि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(3), नवा रायपुर दिनांक 10/01/2022 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 31/01/2023) तक अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि बाबत् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2128/गौण खनिज/न.क्र.17/2022–23 बिलासपुर, दिनांक 18/11/2022 द्वारा संचालक संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को छः माह की अतिरिक्त कालावधि बढ़ाये जाने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 216/1, 216/4, 219/2, 219/3 श्री सुखीराम एवं खसरा क्रमांक 216/2, 216/3, 218/1, 218/2, 219/1 एवं 220 श्री जागेश्वर ध्रुव के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (Distict Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, तखतपुर के ज्ञापन क्रमांक/351, दिनांक 31/05/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर तथा उपसंचालक, अचानकमार्ग टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलसरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–बेलसरा 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–बेलसरा 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। नहर 100 मीटर, नाला 2.75 कि.मी. एवं मनियारी नदी 3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,91,800 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,35,087 टन एवं रिकव्हरेबल 1,28,333 टन है।

लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,445 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 29,470 घनमीटर है, जिसमें से 4,450 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं शेष 25,020 घनमीटर मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 770, भूमि स्वामी–श्री बजरहा राम, क्षेत्रफल 0.62 एकड़) में 1 मीटर की ऊँचाई तक संरक्षित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,516.25	षष्टम	13,003.13
द्वितीय	12,706.25	सप्तम	13,181.25
तृतीय	12,801.25	अष्टम	13,323.75
चतुर्थ	12,611.25	नवम	12,468.75
पंचम	12,826.00	दशम	12,896.25

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,226 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,69,176 रूपये, खाद के लिए राशि 16,710 रूपये, चेन लिंक फेंसिंग एवं सीमेंट पिल्लर्स के लिए राशि 1,38,400 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,90,286 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,63,472 हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_x$ का सान्द्रण लेवल**:–

Concentration level (μg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (μg/m³)	Maximum (μg/m³)	CPCB Standard (μg/m³)
$PM_{2.5}$	22.12	37.31	60

PM_{10}	32.25	50.42	100
SO_2	10.36	35.08	80
NO_x	9.42	29.32	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता: ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण सेवन मानकीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Equivalent Noise level	Noise level - dB (A) Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	40.22	58.13	75
Night L_{eq}	32.13	41.34	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार 55 पी.सी.यू. प्रतिघंटे एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 है। रॉ मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0-0.2) के भीतर है।

17\. लोक सुनवाई दिनांक 07/09/2022 को दोपहर 12:00 बजे स्थान – शासकीय हाई स्कूल मैदान, ग्राम [illegible], तहसील लखनपुर, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 13/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18\. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–

i. खदान संचालन से निकलने वाले धूल मिट्टी तथा सड़को में उड़ने वाली धूल के लिए रोकथाम किया जाए।

ii. खदान खुल जाने से धूल, पत्थर, कंकड़ आदि खेत में जायेगा जिससे फसलों को नुकसान होगा। इसी खेत से मैं अपने घर का पालन पोषण करता हूँ।

iii. खदान के आसपास तालाब में गड्ढे निर्मित हो चुके हैं, उसका निराकरण किया जाए।

iv. स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. दिन में दो बार पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाएगा।

ii. हम छोटी ब्लास्टिंग एप्रूव्ड लाईसेंस कान्ट्रेक्टर के द्वारा करवायेंगे जिससे की पत्थर खदान के बाहर ना गिरे जिससे आपकी फसल को कोई नुकसान ना हो। अगर हमारे द्वारा भविष्य में नुकसान हुआ तो हम उसका मुआवजा देंगे।

iii. सड़क में गड्ढे हो गए है उनकी समय समय पर मरम्मत की जाएगी।

iv. स्थानीय लोगो को ही खदान में रोजगार दिया जाएगा।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग (कुल लम्बाई 2.5 कि.मी.) के दोनों तरफ (1,667 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,26,692	12,616	12,616	12,616	12,616
	फेंसिंग हेतु राशि	15,33,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	12,510	1,260	1,260	1,260	1,260
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	4,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000
कुल राशि = 38,88,306		**21,04,802**	**4,45,876**	**4,45,876**	**4,45,876**	**4,45,876**

कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
386 मीटर मार्ग के दोनों तरफ (258 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	19,608	1,976	1,140	1,140	1,140
	फेंसिंग हेतु राशि	2,06,400	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,950	210	120	120	120
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	96,601	66,601	53,081	53,081	53,081
कुल राशि = 5,56,369		**3,24,559**	**68,787**	**54,341**	**54,341**	**54,341**

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला -- रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	2%	0.90	Following activities at, Village- Darri Belsara	
			Pavitra Van Nirman	12.22
			Total	12.22

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम, आम, जामुन, चंदन, करंज, आंवला, अमलतास, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 285 नग पौधों के लिए राशि 20,140 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 51,600 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,980 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,56,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,49,720 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,73,040 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दर्री बेलसरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 194, क्षेत्रफल 0.105 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है

23. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करारनामा जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है, साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।

27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर तथा उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबद् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कर उक्त जानकारी प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा संक्षेपिती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 11/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 03/01/2024 की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बिलासपुर के पत्र क्रमांक/2928/गौण खनिज/न.क्र./2023, दिनांक 09/02/2023 को अपास्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बिलासपुर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
2. क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर तथा उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है, जो कि प्रक्रियाधीन है। जानकारी प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाए।

   वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (श्री योगेश खत्री, ग्राम-बेलसरा तहसील-तखतपुर, जिला बिलासपुर, खसरा क्रमांक 183, 191/1-2-3 क्षेत्रफल 7.48 एकड़) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक तक.अधि./3157 बिलासपुर, दिनांक 17/08/2016 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वनक्षेत्र की सीमा से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर है। समिति द्वारा पाया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (श्री योगेश खत्री, ग्राम बेलसरा तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर) का उल्लेख

आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी प्रमाण पत्र में नहीं है। अतः समिति का मत है कि क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर तथा उपसंचालक, अचानकमार्ग टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव का उचित प्रबंधन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

5. सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 777/डोलोमाईट/प्रमाण पत्र/2021 बिलासपुर, दिनांक 27/05/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.523 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बेलसरा) का क्षेत्रफल 1.918 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बेलसरा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 12.441 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर तथा उपसंचालक, अचानकमार्ग टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स वंदना इंटरप्राईजेस (प्रो.– सुनील कुमार अग्रवाल, बेलसरा डोलोमाईट स्टोन माईन) को ग्राम–बेलसरा, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 218/1, 218/2, 219/1, 219/2, 219/3 एवं 220 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.918 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–13,323.75 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार

1. क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। अतः लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 11, क्षेत्रफल 6.42 एकड़) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4961 बिलासपुर, दिनांक 21/10/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर होना बताया गया है।

2. उपसंचालक, अचानकमार्ग टाईगर रिजर्व से वन क्षेत्र की सीमा से वास्तविक दूरी के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लीज क्षेत्र से 5.24 कि.मी. की दूरी पर है। उपसंचालक, अचानकमार्ग टाईगर रिजर्व से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09/05/2022 में सामान्य शर्तें (General Condition) गौण खनिज हेतु लागू नहीं होती है। अतः अचानकमार्ग टाईगर रिजर्व से अनापत्ति प्रमाण पत्र से प्राप्त कर प्रस्तुत करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। चूंकि यह खदान अचानकमार्ग टाईगर रिजर्व से अधिक दूरी पर है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स वंदना इंटरप्राईजेस (प्रो.– सुनील कुमार अग्रवाल, बेलसरा डोलोमाईट स्टोन माईन)

को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:—

i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत्, ई.एम.पी. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई. आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों की जानकारी/रिपोर्ट अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

v. इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् प्रतिवर्ष किये जाने वाले इन्वारोमेंट मॉनिटरिंग कार्य तथा पर्यावरणीय सलाहकार (Environmental Consultant) के नाम सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई. ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

vi. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

vii. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख—रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि—पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख—रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि—पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

8. **मेसर्स आशा मिनरल्स (प्रो.– श्री सुनीत तंबोली, तालपुर लाईम स्टोन माईन), ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2531)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /434306 /2023, दिनांक 22/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8 एवं 45, कुल क्षेत्रफल 3.199 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,976.83 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 494वीं बैठक दिनांक 27/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनीत तंबोली, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8 एवं 45, कुल क्षेत्रफल–3.119 हेक्टेयर, क्षमता–25,976.83 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कबीरधाम द्वारा दिनांक 02/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति अनुबंध जारी दिनांक (29/05/2018) से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 28/05/2023 तक वैध है।

   भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 28/05/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 650 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 900/ख.लि./खनिज/2023, दिनांक 26/10/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	10,721
2019-20	6,657
2020-21	19,480
2021-22	22,836
2022-23	25,879

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तालपुर का दिनांक 16/05/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1336/खनि.लि./उ.यो./2017 बेमेतरा, दिनांक 03/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 494/ख.लि./उत्खनिपट्टा/2023 कबीरधाम, दिनांक 03/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.609 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 495/ख.लि./उत्खनिपट्टा/2023 कबीरधाम, दिनांक 03/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। पक्की सड़क 10 मीटर की दूरी पर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स आशा मिनरल्स, प्रोपराईटर- श्री सुनील तंबोली के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात दिनांक 29/05/2018 से 28/05/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 44/6 श्री तिजेलाल, खसरा क्रमांक 44/3, 44/8 श्री श्याम तंबोली, खसरा क्रमांक 45 श्री घुरवा एवं खसरा क्रमांक 44/1, 44/2 44/5, 44/7 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, जिला-कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./10529 कवर्धा, दिनांक 06/10/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 10 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-तालपुर 770 मीटर, स्कूल ग्राम-तालपुर 860 मीटर एवं अस्पताल लोहारा 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 मीटर दूर है। कर्रा नदी 7.3 कि.मी., तालाब 890 मीटर, दमाउ नाला 560 मीटर एवं नहर 400 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 7,59,762 टन, माईनेबल रिजर्व 2,88,523 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,59,670 टन था। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 6,64,681 टन, माईनेबल रिजर्व 1,93,441 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,78,476 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,056.29 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,798 घनमीटर है, जिसमें से 2,123 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 5,675 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 35/7, क्षेत्रफल 0.324 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बैंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 2,000 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2023-24	25,972.9
2024-25	25,972.9
2025-26	25,972.9
2026-27	25,975.6
2027-28	25,916.3

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,624 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 7.5 मीटर की पट्टी में पूर्वी दिशा की तरफ 122 मीटर लंबे भाग में उत्खनन होने तथा दक्षिणी दिशा में 112 मीटर लंबे भाग में क्रशर के कन्वेयर बेल्ट होने के कारण वृक्षारोपण संभव नहीं है।

इसके कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र से संलग्न सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 45, भू–स्वामी – श्री घुरूवा) में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 1,624 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 1,62,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,43,000 रूपये, खाद के लिए राशि 81,200 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,06,240 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,92,840 रूपये एवं रख–रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 7,49,760 रूपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 2,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल को क्रशर तथा 7,921.176 वर्गमीटर क्षेत्र में साधारण पत्थर के भण्डारण हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at, **Village- Talpur**	
49.53	2%	0.99	Plantation around Muktidham	1.30
			Total	**1.30**

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम तालपुर स्थित मुक्तिधाम के चारों ओर (आम, कटहल एवं जामुन) 50 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 7,500 रुपये, खाद के लिए राशि 2,500 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 25,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 40,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 90,000 रुपये हेतु विस्तार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत तालपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 232, क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने, इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता/अधिकारी को उनके निरीक्षण/भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक रीति से नियंत्रित ब्लास्टिंग के अनुसार डी.जी.एम.एस. प्रशिक्षित एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

22. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का निस्सार किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा तथा हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटस्थ जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक

जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जायेंगे : —

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतों में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

vi. ग्राम अंकित तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 690 मीटर तथा नहर 400 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) से (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा भूमि स्वामियों के निजी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार निर्धारित मुआवजा तथा रोजगार की प्राथमिकता का अवसर भूमि स्वामियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.7 कि.मी., अस्पताल 3 कि.मी. एवं आबादी क्षेत्र 770 मीटर की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं

आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे–

i. खदान के माईन बाउण्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा। जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज नहीं गिरे।

iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत खर्च किया जावेगा।

vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जायेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किया जाएगा।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा भारत के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी होगी।

35. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तुत खनन योजना को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्मित कराकर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित खनन योजना में राजमार्ग से लीज क्षेत्र की दूरी 13 मीटर होने के कारण नियमानुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 5 (2) (ग) के अनुसार राजमार्ग से माइनिंग पिट को 100 मीटर की प्रतिबंधित दूरी छोड़ते हुए खनन योजना बनायी गयी है। छोड़े गए गैर उत्खनन क्षेत्र का कुल रकबा 13,338.12 वर्गमीटर है, इस क्षेत्र को स्टोरेज एवं क्रशर स्थापना के क्षेत्र के रूप में अनुमोदित माइनिंग प्लान में बताया गया है। वर्तमान में राजमार्ग से क्रशर 63 मीटर की दूरी पर है।

इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि मेरी खदान में स्थापित क्रशर को संलग्न मैप के अनुसार राजमार्ग से 100 मी. की दूरी छोड़ते हुये मेरे द्वारा स्थानांतरित कर दिया जावेगा. इस संबंध में शपथ पत्र, वर्तमान लोकेशन ऑफ क्रशर मैप एवं प्रस्तावित लोकेशन ऑफ क्रशर मैप प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित खदान में स्थापित क्रशर को संलग्न मैप के अनुसार राज्यमार्ग से 100 मीटर की दूरी छोड़ते हुए स्थानांतरित कर दिया जावेगा।

समिति का मत है कि आवेदित खदान की सीमा एवं स्थित क्रशर की दूरी राज्यमार्ग से 10 मीटर है, कम–से–कम 100 मीटर होना चाहिए। अतः राज्यमार्ग से न्यूनतम 100 मीटर दूरी छोड़ते हुए अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. आवेदित खदान की खनन क्षेत्र एवं क्रशर क्षेत्र से राज्यमार्ग से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखते हुए तथा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुये अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. आवेदित खदान की खनन क्षेत्र एवं क्रशर क्षेत्र से राज्यमार्ग से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी के संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:- प्रस्तुत खनन योजना को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्मित कराकर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित खनन योजना में राज्यमार्ग से लीज क्षेत्र की दूरी 10 मीटर होने के कारण निम्नानुसार छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 5 (2) (ग) के अनुसार राज्यमार्ग से माइनिंग पिट को 100 मीटर की प्रतिबंधित दूरी छोड़ते हुए खनन योजना बनायी गयी है। छोड़े गए गैर उत्खनन क्षेत्र का कुल रकबा 13,338.12 वर्गमीटर है इस क्षेत्र को स्टोरेज एवं क्रशर स्थापना के क्षेत्र के रूप में अनुमोदित माईनिंग प्लान में बताया गया है। वर्तमान में राज्यमार्ग से क्रशर 63 मीटर की दूरी पर है।

   माननीय राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के निर्देशानुसार खदान में स्थापित क्रशर को संलग्न मैप के अनुसार राज्यमार्ग से 100 मी. की दूरी छोड़ते हुए स्थानांतरित कर दिया जायेगा, इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत की गई है। वर्तमान लोकेशन ऑफ क्रशर मैप एवं प्रस्तावित लोकेशन ऑफ क्रशर मैप की प्रति प्रस्तुत की गई है।

   लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के खुदे हुए भाग पर प्रस्तुत पुनर्भराव प्लान के अनुसार पुनर्भराव किया जायेगा तथा प्रस्तुत वृक्षारोपण प्लान के अनुसार तीन पंक्तियों में पौधारोपण करके नाम तथा संख्यांकन करते हुए फोटोग्राफ को अर्धवार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है

2. उत्खनित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के क्षेत्र को पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है।

3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 20/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोप्राईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 494/ख. लि./उत्खनिपट्टा/2023 कबीरधाम, दिनांक 03/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.609 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–तालपुर) का क्षेत्रफल 3.199 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–तालपुर) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.808 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. मेसर्स आशा मिनरल्स (प्रो.– श्री सुनीत तंबोली, तालपुर लाईम स्टोन माईन) को ग्राम–तालपुर, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम के खसरा क्रमांक 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8 एवं 45 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.199 हेक्टेयर, क्षमता–25,976.83 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स आशा मिनरल्स (प्रो.– श्री सुनीत तंबोली, तालपुर लाईम स्टोन माईन) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम तालपुर स्थित मुक्तिधाम के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के सत्यापन हेतु जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

   v. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के पदाधिकारी / प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

9. **मेसर्स हाराडुला सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत हाराडुला), ग्राम–हाराडुला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2517)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431345/2023, दिनांक 15/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हाराडुला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1267, कुल क्षेत्रफल–41.04 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 482वीं बैठक दिनांक 23/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 23/08/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ब) समिति की 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023:

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
बैठक का विवरण	502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		महेन्द्र सिंह गावडे, सरपंच एवं सचिव कुमार पोया, सचिव उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत हाराडुला दिनांक 07/10/2022	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 24/05/2023	

500 मीटर	दिनांक 30/05/2023	अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 30/05/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित – नहीं
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत हाराडुला दिनांक – 25/04/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	जारी एल.ओ.आई. में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 नियम 7 के तहत् रेत खदान उत्खनिपट्टा अवधि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूर्ति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमंडलाधिकारी, कांकेर वनमंडल, कांकेर द्वारा जारी दिनांक 14/03/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – खारथा 450 मीटर स्कूल ग्राम – खारथा 1 कि.मी. अस्पताल ग्राम – हाराडुला 1.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 3.8 कि.मी. राज्यमार्ग – 20 कि.मी.	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 325 मीटर, न्यूनतम 260 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई अधिकतम – 440 मीटर, न्यूनतम 430 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 160 मीटर, न्यूनतम 110 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 160 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर है।	नदी तट के किनारे से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़ी गई है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई –	स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–1,00,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5, रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels): दिनांक 26/05/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	

वृक्षारोपण कार्य	नदी तट पर 1,000 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1[illegible],48,290
श्रेणी	बी 2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
48	2%	0.96	Following activities at, **Village- Haradula**	
			Pavitra Van Nirman	6.40
			Total	**6.40**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (बड़, पीपल, नीम, आम, इमली, अर्जुन, करंज आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,015 नग पौधों के लिए राशि 76,125 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 81,080 रूपये, खाद के लिए राशि 10,150 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 80,300 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,48,255 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,92,248 रूपये हेतु मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत हाराडुला के सहमति उपरांत रोपणयोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1250/2 क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है.

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर द्वारा जारी लीज क्षेत्र का सिमांकन/सीमांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से नक्सीजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 502वीं बैठक दिनांक 13/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 19/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 339/खनिज/रेत/न.क्र.–07/2023 कांकेर, दिनांक 14/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान चिन्हित/सीमांकित कर घोषित किया गया है।

2. नदी तट पर किये जाने वाले 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत [illegible] की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1267 एवं क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर) बाबत् सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना की जिन-जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. खदान क्षेत्र के आस-पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 80 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

13. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में सीमा स्तंभ लगाया जाना आवश्यक है। लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भे गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।

14. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स हाराडुला सैण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत हाराडुला) को ग्राम–हाराडुला, तहसील–चारामा, जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1267, कुल लीज

क्षेत्रफल—5 हेक्टेयर के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 925/ख.लि–1/न.क्र.–07/गौ.ख.सा.रेत/2023 कांकेर, दिनांक 15/05/2024 को आदेश जारी किया गया है, जिसमें "पूर्व में जारी किये गये आशय पत्र की अवधि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छ.ग. रायपुर से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये जाने तक के लिए बढ़ाई जाती है।" उल्लेख है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स हराडुला सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत हराडुला) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-
   i. सी.ई.आर. के तहत् एवं नदी के तट पर शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र वन निर्माण' के तहत् किये जाने वाले कार्य के सत्यापन हेतु जियो टैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iii. खनिज का परिवहन ढंके हुए वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
   iv. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

10. मेसर्स अटर्रा ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री अर्जुन भगतानी), ग्राम–अटर्रा, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2703)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 449065 एवं 17/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3.967 हेक्टेयर एवं 7,704 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	20, 21, 28, 30/1–2, 31, 34, 35/1, 36/1, 36/3, 37/1–2, 38, 39/1, 40/1, 41/1–2, 61	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 28, 39/1 श्रीमती ईश्वरी बाई खसरा क्रमांक 20, 21, 30/1–2, 31, 34, 35/1, 36/1, 36/3, 37/1–2, 38, 40/1, 41/1–2, 61 श्री विजय भगतानी के नाम पर है।	सहमति पत्र पात्र
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री गोविंद भगतानी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 20, 21, 28, 30/1–2, 31, 34, 35/1, 36/1, 37/1–2, 38,	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09/03/2036 तक है।

	39/1, 40, 41/1, 2, 61 क्षेत्रफल – 2.967 हेक्टेयर क्षमता 7,704 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 02/02/2017	
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व-प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण 300 नग किया गया है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक – 05/10/2023 वर्ष 2018-19 में 6,81,000 नग वर्ष 2019-20 में 7,68,000 नग वर्ष 2020-21 में 6,82,000 नग वर्ष 2021-22 में 10,73,000 नग वर्ष 2022-23 में 11,69,000 नग	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत आदर्श दिनांक 19/12/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 28/10/2018	
500 मीटर	दिनांक 05/10/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 05/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री अर्जुन [illegible] अवधि–10/03/2008 से 09/03/2038	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर वनमण्डल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 15/11/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 21 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – अर्थरी 320 मीटर शासकीय उ.मा. विद्यालय – 1.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 26 कि.मी. राज्यमार्ग – 2.15 कि.मी.	मनीयारी नदी 72 मीटर
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेनुअल रिजर्व – जियोलॉजिकल 79,343 टन माईनेबल 70,328 टन रिकवरेबल 63,295 टन प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50%	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 7704.8 घनमीटर द्वितीय 7704.8 घनमीटर तृतीय 7704.8 घनमीटर चतुर्थ 7704.8 घनमीटर पंचम 7704.8 घनमीटर षष्टम 7704.8 घनमीटर सप्तम 7704.8 घनमीटर अष्टम 7704.8 घनमीटर नवम 7704.8 घनमीटर दशम 7704.8 घनमीटर

	एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 12 टन	
लीज क्षेत्र के भीतर भट्ठा स्थापित	हाँ, क्षेत्रफल– 2,196 वर्गमीटर फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई–35 मीटर	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 1,155 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 500 नग वर्तमान में वृक्षारोपण – 300 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 200 नग	200 नग पौधों के 5 वर्षों का घटकवार व्ययवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 80 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी, फ्लाई ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण, विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने, लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का खनन एवं ईंट निर्माण संबंधी कार्य नहीं किये जाने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्व इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्व भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors.

		में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी 2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.967 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
20	2%	0.4	Following activities at nearby, Village-Atarra Pavitra Van Nirman	2.05
			Total	2.06

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, शिशु, जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 750 नग पौधों के लिए राशि 37,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,37,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 80,000 रूपये हेतु मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत अटर्रा के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 74 क्षेत्रफल 0.854 हेक्टेयर में से 0.3 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मनियारी नदी से प्रतिबंधित दूरी छोड़ने के कारण सरफेस जियोलॉजिकल प्लान में संशोधन किया गया है। संशोधन के फलस्वरूप 2,451 वर्गमीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिससे उक्त क्षेत्र का लगभग 4,902 घनमीटर भण्डार प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। उत्खनन योजना के अनुसार इस भाग से उत्खनन किया जा चुका है, अतः उत्खनन योजना में दर्शाये गये कुल भण्डार की गणना पर प्रभाव नहीं आता है, तथापि उत्खनित किये गये इस भू–भाग को पुनर्भरण कर सघन वृक्षारोपण शीघ्र अतिशीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी, जिला–बिलासपुर को संशोधित सरफेस जियोलॉजिकल प्लान हेतु दिनांक 20/12/2023 को आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि पर्यावरणीय मापदण्डों के अनुसार मनियारी नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये सरफेस प्लान (Surface plan) एवं माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही मनियारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर किये जाने वाले शेष 200 नग पौधो के 5 वर्षों का घटकवार व्ययवार विवरण प्रस्तुत किया जाए।
2. मनियारी नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये सरफेस प्लान (Surface plan) एवं माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. मनियारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तद्नुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/02/2024 एवं दिनांक 19/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 15,200 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,99,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,18,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,34,200 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 4,38,680 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3435/खनि/मिट्टी उ.पी./2024 बिलासपुर, दिनांक 15/02/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार संशोधित सरफेस प्लान में पर्यावरण नियमानुसार नदी से प्रतिबंधित दूरी 100–103 मीटर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने उपरांत रिजर्व, उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही संशोधित सरफेस जियोलॉजिकल प्लान उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया गया है।
3. मनियारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3435/खनि/मिट्टी उ.पी./2024 बिलासपुर, दिनांक 15/02/2024 द्वारा जारी पत्र की प्रति को ही प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि मनियारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore. Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. मनियारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. मेसर्स आदर्श ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री अर्जुन भगतानी) को ग्राम आदर्श, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 20, 21, 28, 30/1–2, 31, 34, 35/1, 36/1, 36/3, 37/1 2, 38, 39/1, 40/1, 41/1–2, 61 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल 3.867 हेक्टेयर, क्षमता–7,704 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3435/खनि/मिट्टी उ.पो. /2024 बिलासपुर, दिनांक 15/02/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार संशोधित सर्वेक्षण प्लान में पर्यावरण नियमानुसार नदी से प्रतिबंधित दूरी 100–103 मीटर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने उपरांत रिजर्व, उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। अतः मनियारी नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स आदर्श ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री अर्जुन भगतानी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में पौधों का रोपण कर पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. ईंट का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। ईंट का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

11. मेसर्स पासीद ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री गोविंद भगतानी), ग्राम–पासीद, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2704)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 448977 एवं 17/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.692 हेक्टेयर एवं 3,667.2 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	1293, 1302, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 1302 श्रीमती आशा,	सहमति पत्र प्राप्त

	खसरा क्रमांक 1283, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2 श्री गोविंद भगतानी (आवेदक) के नाम पर है।	
बैठक का विवरण	603वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री गोविंद भगतानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 1283, 1302, 1315, 1316, 1317, 1320/2 क्षेत्रफल – 1.892 हेक्टेयर क्षमता – 3,687.2 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 02/02/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 27/04/2036 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक – 05/10/2023 वर्ष 2018–2019 में 9,95,000 नग वर्ष 2019–2020 में 6,14,000 नग वर्ष 2020–2021 में 8,33,000 नग वर्ष 2021–2022 में 11,92,000 नग वर्ष 2022–2023 में 14,17,000 नग	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पासीद दिनांक 20/12/2023	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 28/10/2016	
500 मीटर	दिनांक 05/10/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 05/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
लीज डीड	लीज धारक – श्री गोविंद भगतानी अवधि–28/04/2006 से 27/04/2036	पूर्व में लीज धारक – श्री कैलाश कुमार गिनानी
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर, वनमण्डल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक 10/11/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 21.95 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम पासीद–2 कि.मी. शास. उच्च. माध्य. विद्यालय 1.5 कि.मी. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचपेढ़ी–12 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. राज्यमार्ग – 25 कि.मी.	के.एम.एल. से देखने पर 80 मीटर से 88 मीटर की दूरी पर आबादी नहीं प्रदर्शित हो रही है।
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	

खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल रिजर्व्स – जियोलॉजिकल 33,840 घनमीटर माईनेबल 30,204 घनमीटर रिकवरेबल 27,183 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 2 मीटर बेंच की ऊंचाई 1 मीटर बेंच की चौड़ाई 1 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 50 प्रतिशत	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 3,667.2 घनमीटर द्वितीय 3,667.2 घनमीटर तृतीय 3,667.2 घनमीटर चतुर्थ 3,667.2 घनमीटर पंचम 3,667.2 घनमीटर षष्टम 3,667.2 घनमीटर सप्तम 3,667.2 घनमीटर अष्टम 3,667.2 घनमीटर नवम 3,667.2 घनमीटर दशम 3,667.2 घनमीटर
लीज क्षेत्र के भीतर भट्ठा स्थापित	नहीं	
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 909 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
जल आपूर्ति	मात्रा – 6 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 240 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 200 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 40 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,11,300 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, भूमि स्वामियों को निर्धारित मुआवजा एवं रोजगार की प्राथमिकता, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी, फ्लाई ऐश के उचित भण्डारण हेतु टिन शेड का निर्माण, विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने, लीज क्षेत्र के बाहर किसी भी प्रकार का खनन एवं ईंट निर्माण संबंधी कार्य नहीं किये जाने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्व इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्व भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

		4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 07/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जायेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/08/2017 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.692 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)**
10	2%	0.2	Following activities at Government higher secondary School **Village-Pasid**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Portable Drinking Water Facility	0.30
			Running Water Facility for Toilet	0.16
			Plantation in School/Community Health Centre	0.15
			Total	**1.0**

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. खनि निरीक्षक, जिला–बिलासपुर द्वारा उप संचालक (ख.प्र.), जिला बिलासपुर को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन दिनांक 19/12/2023 अनुसार "आवेदित लीज क्षेत्र के उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित अरपा नदी से 100 मीटर तक के क्षेत्र को चिन्हांकित किया जाकर खनन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। जिसमें उत्खनिपट्टाधारी के द्वारा सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, और क्षेत्र में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार आवेदित क्षेत्र में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1293, 1332, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2, कुल

रकबा 1.632 हेक्टेयर में से चिन्हांकित खनन प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित क्षेत्र को छोड़कर शेष खसरा क्रमांक 1302, 1315, 1316, 1317 एवं 1323/2 कुल रकबा 1.546 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कार्य किया जाना प्रस्तावित है।" का उल्लेख है

उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि पर्यावरणीय मानकों के अनुसार अरपा नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये सरफेस प्लान (Surface plan) एवं माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही अरपा नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित करकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस बाबत् प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करने हेतु खनिज विभाग में आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. अरपा नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. अरपा नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ते हुये सरफेस प्लान (Surface plan) एवं माईनिंग प्लान को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 509वीं बैठक दिनांक 20/12/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/02/2024 एवं दिनांक 19/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:

1. अरपा नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3436/खनि/मिट्टी उ.यो./2024 बिलासपुर, दिनांक 15/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही प्रस्तुत किया गया है। अतः समिति का मत है कि अरपा नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3436/खनि/मिट्टी उ.यो./2024 बिलासपुर, दिनांक 15/02/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार संशोधित सरफेस प्लान में पर्यावरण नियमानुसार नदी से प्रतिबंधित दूरी 100 103 मीटर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने उपरांत रिजर्व, उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही संशोधित सरफेस जियोलॉजिकल प्लान उप संचालक (खि.प्रशा.), जिला बिलासपुर से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया गया है।
3. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–स्तरीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं

वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore. Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. अरपा नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

2. मेसर्स पारीक ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो. श्री गोविंद मगवानी) को ग्राम पासीद, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर के खसरा क्रमांक 1293, 1302, 1315, 1316, 1317 एवं 1320/2 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.892 हेक्टेयर, क्षमता–3,667.2 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/08/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3436/खनि/मिट्टी अ.प.(?)/2024 बिलासपुर, दिनांक 15/02/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार संशोधित उत्खनन प्लान में पर्यावरण नियमानुसार नदी से प्रतिबंधित दूरी 100–100 मीटर को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने उपरांत रिजर्व, उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है। अतः अरपा नदी की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी मंगाये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए आवेदक – मेसर्स पारीक ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो. श्री गोविंद मगवानी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 1 मीटर की सीमा पट्टी में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन

कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले कार्य के सत्यापन हेतु जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. ईंट का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। ईंट का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

12. मेसर्स मुड़पार लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री कमलेश देवांगन), ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1771)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 66874/2021, दिनांक 24/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 416380/ 2023, दिनांक 17/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 31/1(पार्ट), 31/2(पार्ट), 33, 34, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/2(पार्ट), 65/1(पार्ट), 65/2(पार्ट) एवं 65/3(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–25,001.25 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 17/04/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश देवांगन, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एस सॉल्युशन, नोएडा उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री पूनम गांगुली उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नुवागांव का दिनांक 23/03/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी जिला—दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 6xx/खनि. अनु.—01/2021 दुर्ग, दिनांक 02/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 27 खदानें, क्षेत्रफल 46.428 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि अन्य खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिधि के बीच दूरी उसी सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल केस में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मकबरा, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — भूमि आवेदक के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 531/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 05/07/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र ज्ञापन क्रमांक 5106/खनि 02/उ.प.—गौ.नि.प्र./न.क्र.50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 30/08/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 26.06.2020 (प्रकाशन दिनांक 30.06.2020) के नियम 42 के उप—नियम (3) परन्तु के तहत् संचालक को प्रदत्त अधिकार का प्रयोग

करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4937 दुर्ग, दिनांक 14/12/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मुड़पार 320 मीटर, स्कूल ग्राम–मुड़पार 320 मीटर, अस्पताल ग्राम–सेलुद 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 20 कि.मी. एवं तालाब 510 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,20,000 टन, माईनेबल रिजर्व 3,51,663 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,16,497 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,392 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,151 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,001.25
द्वितीय	25,001.25
तृतीय	25,001.25
चतुर्थ	25,001.25
पंचम	25,001.25

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति लीज क्षेत्र के निकट स्थित मेसर्स नित्या स्टोन क्रशर के संचालित खदान सीपेज वाटर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् मेसर्स नित्या स्टोन क्रशर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि पीने योग्य पानी (1.35 घनमीटर प्रतिदिन) के संबंध में संबंधित शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,348 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। कुल 1,348 नग पौधों के लिए

राशि 1,02,448 रुपये, खाद के लिए राशि 10,110 रुपये, चेन लिंक फेंसिंग के लिए राशि 2,67,900 रुपये, सिंचाई एवं जल छिड़काव आदि के लिए राशि 2,08,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 5,88,858 रुपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,78,008 हेतु मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. गैर माईनिंग क्षेत्र – लीज क्षेत्र में 232 वर्गमीटर क्षेत्र संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण एवं चौड़ाई कम होने के कारण 4,634 वर्गमीटर क्षेत्र को 13.5 मीटर गहराई के पश्चात् गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:–

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu g/m^3$)	Maximum ($\mu g/m^3$)	CPCB Standard ($\mu g/m^3$)
$PM_{2.5}$	26.26	43.58	60
PM_{10}	47.2	66.50	100
SO_2	8.08	14.63	80
NO_2	11.33	20.24	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, फ्लोराईड, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	48.54	61.22	75
Night L_{eq}	43.07	62.41	70

जो संबंधित क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:– भारी वाहनों/मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 830 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.13 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 42 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 872 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.14 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0-0.2) के भीतर है।

17. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 28 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग 10 कि.मी. के दोनों तरफ (6,667 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	5,06,692	50,616	50,616	50,616	50,616
	फेंसिंग हेतु राशि	61,33,600	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	50,010	5,010	5,010	5,010	5,010
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000	21,60,000
कुल राशि = 1,77,12,806		**88,50,302**	**22,15,626**	**22,15,626**	**22,15,626**	**22,15,626**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ 344 मीटर (229 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,404	1,748	1,748	1,748	1,748
	फेंसिंग हेतु राशि	2,13,200	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	1,710	180	180	180	180
	सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	74,167	74,167	74,167	74,167	74,167
कुल राशि = 6,10,861		**3,06,481**	**76,095**	**76,095**	**76,095**	**76,095**

18. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् उपरांत निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
56	2%	1.12	Following activities at Village- Mahkakala	
			Pavitra Van Nirman	14.14
			Total	**14.14**

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदंब, जामुन, आंवला, अमलतास, बरगद, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों के लिए राशि 36,156 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,53,000 रुपये, सिंचाई व खाद के लिए राशि 3,610 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,09,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,60,766 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,50,760 रुपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत महकाकला के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 198, क्षेत्रफल 2.2 हेक्टेयर में से 0.5 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

21. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

22. मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ब्लास्टिंग न किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. लीज क्षेत्र की सीमा के 7.5 मीटर की पट्टी में निर्मित शेड को हटाकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

26. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

27. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. कॉमन इन्वायरोमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत तय की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

34. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

39. लोक सुनवाई दिनांक 16/09/2022 दोपहर 12:00 बजे ग्राम-पंचायत मुड़पार, ग्राम-मुड़पार, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 11/11/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

40. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:-

i. हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर घरों व स्कूलों तक आ जाते हैं। दिन में दस बार ब्लास्टिंग होता है, जिससे भूकंप जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों तथा गांव वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ii. लगातार बढ़ती खदानों से गांव का वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों की फसलों, मनुष्यों एवं जीव–जन्तुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

iii. समस्त ग्राम वासियों ने खदान खोलने का विरोध किया है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से जिन ग्राम वासियों के घरों में टूट–फूट हुआ है उनको निरीक्षण करके उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिया जावें।

iv. मेरी जमीन खदान से लगी हुई है। मैं अपनी जमीन खदान वालों को बेच रहा हूं क्योंकि खदान वाले मुझे अपनी जमीन में जाने के लिए रास्ता नहीं देते हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी होगी।

ii. धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।

iii. हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करेंगे जिससे आपको परेशानी नहीं होगी।

iv. हमनें जो जमीन खरीदी है, उसमें हम फेंसिंग कराएंगे। उसके बाहरी किनारे से आप जा सकते हैं।

41. क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा अनुमोदित किये गये लोक सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोक सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनः उद्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टिका–टिप्पनिया प्राप्त हुई, जिसमे लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है। समिति का मत है कि जन सुनवाई में उपस्थिति लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु किये गये जन सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोक सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 331 व्यक्तियों (02 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनः उद्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टिका–टिप्पनिया प्राप्त हुई, जिसमे लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की

गई। समिति का मत है कि इस निर्णय से कलेक्टर, जिला–दुर्ग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल को अवगत कराया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2023 को संपन्न 147वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि आवेदित खदान एक नवीन खदान है। लोक सुनवाई के दौरान नागरिकों द्वारा उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों से ज्ञात होता है कि क्लस्टर में शामिल अन्य संचालित खदानों में से किन्हीं खदानों द्वारा पर्यावरणीय नियमों का कड़ाई से पालन संभवतः नहीं किया जा रहा होगा। उक्त के संबंध में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–**

1. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय एवं तकनीकी दृष्टिकोण से निराकरण किये जाने हेतु बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं?
2. आवेदित स्थल एवं क्लस्टर में शामिल अन्य खदानों का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु पूर्व में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 29/03/2022 में सदस्य श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति निरीक्षण का कार्य करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ब) समिति की 471वीं बैठक दिनांक 26/06/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि** लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों के संबंध में पर्यावरणीय एवं तकनीकी दृष्टिकोण से निराकरण किये जाने हेतु बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1152, दिनांक 28/07/2023 द्वारा श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग को निरीक्षण किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग द्वारा दिनांक 29/01/2024 को जानकारी/दस्तावेज तथा उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27/02/2024 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3559, दिनांक 24/01/2024 द्वारा जारी पत्र अनुसार लोक सुनवाई के संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग से उक्त खदान के संबंध में समस्त ग्रामवासी से समर्थन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी मूल प्रति प्रस्तुत किया गया है।

2. निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

मेसर्स मुड़पार लाईम स्टोन क्वारी (श्री कमलेश देवांगन) द्वारा आवेदित ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (स्थित खसरा क्रमांक – 31/1पार्ट, 32/2पार्ट, 33, 34, 60, 61/1, 62/2, 63/2पार्ट, 65/1पार्ट, 65/2पार्ट, 65/3पार्ट) कुल क्षेत्रफल 1.84 हेक्टेयर प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–25,001.25 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरण स्वीकृति हेतु विचाराधीन प्रकरण का राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति छत्तीसगढ़ के पत्र क्र. 1321/एस.ई.ए.सी., छ.ग. दुर्ग/1771 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/08/2023 के माध्यम से गठित तीन सदस्यीय समिति डॉ. मोहम्मद रफीक खान, श्री एन. के. चन्द्राकर सदस्य, राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग के द्वारा दिनांक 14/10/2023 को स्थल निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के समय खनिज निरीक्षक, श्री भरत बंजारे, परियोजना प्रस्तावक श्री कमलेश देवांगन, विक्रांत देवांगन एवं कुछ ग्रामीण उपस्थित थे, मौके पर पंचनामा किया गया।

(अ.) परियोजना से संबंधित संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है:–

- प्रस्तावित चूना पत्थर खदान ग्राम–मुड़पार
- खसरा नं.– 31/1पार्ट, 32/2पार्ट, 33, 34, 60, 61/1, 62/2, 63/2पार्ट, 65/1पार्ट, 65/2पार्ट, 65/3पार्ट
- रकबा– 1.84 हेक्टेयर
- भूमि का प्रकार– निजी
- प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 25,001.25 टन प्रतिवर्ष

(ब.) एस.ई.ए.सी. द्वारा 28/09/2021 को क्लस्टर में होने के कारण TOR दिया गया

- केटेगरी– बी–1 नवीन प्रस्तावित
- क्लस्टर में कुल स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों की संख्या कुल 26 एवं रकबा 46.428 हेक्टेयर कुल खदान
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित उत्खनन योजना, 200 एवं 500 मीटर की जानकारी एवं ग्राम पंचायत, वन विभाग का NOC प्रस्तुत किया है

प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र से ग्राम आबादी एवं स्कूल की दूरी– 320 मीटर

(स.) परियोजना प्रस्तावक श्री कमलेश देवांगन ने क्लस्टर में होने के कारण ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया है विवरण निम्नानुसार है:–

Concentration level (m.g/m3) of criteria pollutants			
Criteria pollutants	Minimum (m.g/m3)	Maximum (m.g/m3)	CPCB Standard (m.g/m3)
PM 2.5	26.28	43.58	60

PM 10	47.2	66.50	100
SO2	9.08	14.63	80
NO2	11.33	20.24	80

की जानकारी प्रस्तुत किया गया है जो सी.पी.बी. के द्वारा निर्धारित Limit एवं पी.सी.बु. भी निर्धारित सीमा के अंदर है साथ ही साथ 10 कि.मी. के अंदर क्षेत्र का flora, Fauna का भर अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसमें Shedule0-1 जीव–जन्तु एवं वनस्पति नहीं है।

उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त भारत सरकार, जलवायु एवं वन मंत्रालय के द्वारा निर्धारित शर्ते एवं पर्यावरण स्वीकृति में दिए जाने वाले निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

(घ) लोक सुनवाई दिनांक 16/09/2022 को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला दुर्ग की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल, दुर्ग–भिलाई की उपस्थिति में हुई। जनसुनवाई में 51 लिखित एवं 331 मौखिक लोगों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित सुझाव/विचार व्यक्त किए:–

1. हैवी ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर घरों व स्कूलों तक आ जाते है। दिन में दस बार ब्लास्टिंग होता है, जिससे भूकंप जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों तथा ग्राम वासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
2. लगातार बढ़ती खदानों से गांव का वातावरण अत्यधिक प्रदूषित होता जा रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों की फसलों, मनुष्यों एवं जीव–जन्तुओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।
3. समस्त ग्राम वासियों ने खदान खोलने का विरोध किया है। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से जिन ग्राम वासियों के घरों में टूट–फूट हुआ है उनको निरीक्षण करके उनके नुकसान का उचित मुआवजा दिया जावे।
4. मेरी जमीन खदान से लगी हुई है। मैं अपनी जमीन खदान वालों को बेच रहा हूं, क्योंकि खदान वाले मुझे अपनी जमीन में जाने का रास्ता नहीं देते हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कसलटेंट का कथन निम्नानुसार है :–

1. अनुभवन कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हूटर बजाकर लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे ग्रामीणों को कम नुकसान या परेशानी होगी।
2. धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए नियमित जल छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।
3. हम आपको आश्वासन देते है कि हम सभी नियमों का सुचारू रूप से पालन करेंगे जिससे आपको परेशानी नहीं होगी।
4. हमने जो जमीन खरीदी है, उसमें हम फेंसिंग कराएंगे। उसके बाहरी किनारे से आप जा सकते है।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित परियोजना हेतु किये गये जन सुनवाई के कार्यवाही विवरण अनुसार लोक सुनवाई स्थल पर लिखित 51 एवं मौखिक 301 व्यक्ति द्वारा 02 बार पुनः सम्बोधन) द्वारा 333 व्यक्तियों द्वारा आपत्ति सुझाव विचार एवं टिका–टिप्पणियां प्राप्त हुई, जिसमें लगभग सभी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित खदान खुलने का विरोध किया गया है, ऐसी स्थिति में खदान देने हेतु पर्यावरण की अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आवेदित प्रकरण को डि लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। समिति का मत है कि इस निर्णय से कलेक्टर जिला–दुर्ग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण मण्डल को अवगत कराया जाए।

(ई) समिति के द्वारा प्रकरण का डि–लिस्ट करने की अनुशंसा प्राधिकरण को की गयी उक्त के संबंध में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1 लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न बिंदुओं तथा आपत्तियों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय एवं तकनीकी दृष्टिकोण से निराकरण किये जाने हेतु बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं?

2 आवेदित स्थल एवं क्लस्टर में शामिल अन्य खदानों का पूर्ण निरीक्षण कर वस्तुस्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु पूर्व में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 29/03/2022 के पालनार्थ सदस्य, श्री एन. के चन्द्रवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं डॉ. मोहम्मद रफीक खान सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई दुर्ग को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन किया जाता है। तीन सदस्यीय उपसमिति निरीक्षण का कार्य करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

(एफ) प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के आधार पर उपरोक्त वर्णित समिति का गठन कर जाँच का निर्देश दिया गया जाँच उपरांत गठित समिति का मत है कि –

1. श्री कमलेश कुमार देवांगन द्वारा प्रस्तावित नया खदान की भूमि 1.84 हेक्टेयर निजी है एवं अभी तक उसके द्वारा किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं की गयी है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नए खदान खोलने हेतु उपरोक्तानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित (अ) (ब), (स) जो आवश्यक शर्ते है उससे पूर्ण किया है।

3. परियोजना प्रस्तावक ने किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक ने शासन / विभाग द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में दिए जाने वाले समस्त अधिरोपित शर्तो का पालन करने का पालन करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

निरीक्षण में उप समिति ने यह भी पाया कि प्रस्तावित खदान के अतिरिक्त समूह में 25 खदानें स्वीकृत है जिसका रकबा लगभग 48.423 हेक्टेयर है इसके अतिरिक्त 2 प्रस्तावित भी है, जिसमें मुरमुंदा, चुनकट्टा एवं पतोरा ग्राम शामिल है।

उपसमिति ने यह तथ्य पाया कि वर्तमान में संचालित 25 खदानों में से अधिकांश खदान मालिको द्वारा पर्यावरण शर्तें/खनन शर्तो एवं अन्य निर्धारित शर्तो का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है संभवतः इसी कारण ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित परियोजना

का विरोध किया गया है यह तथ्य जनसुनवाई के द्वारा परिलक्षित हुआ जिसका विवरण दिया जा चुका है। जनसुनवाई एवं परियोजना प्रस्तावक के रिप्लाई में उल्लेखित है।

यद्यपि अधिकांश लोगों ने उक्त प्रस्तावित खदान को खोलने का विरोध किया है, निरीक्षण रिपोर्ट के भाग (द) में वर्णित है। लेकिन अधिकांश लोगों ने विरोध का कोई भी कारण लिखित या मौखिक में नहीं बताया है केवल विरोध है। तथा कुछ लोगों ने लिखित में खदान खोलने हेतु समर्थन किया है। विवरण जनसुनवाई प्रतिवेदन में सम्मिलित है।

सरपंच ग्राम पंचायत मुड़पार ने 10/01/2024 को एक पत्र क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई के माध्यम से अध्यक्ष/सदस्य सचिव को खदान खोलने के समर्थन में प्रेषित किया है जिसमें गांव के ही कुछ पंच एवं 30–35 लोगों ने खदान खुलने की सहमति में हस्ताक्षर किया है इस पर भी विचार किया जाना उचित होगा।

तीन सदस्यीय उपसमिति का यह अभिमत है कि क्लस्टर में सम्मिलित उक्त खदान संचालकों द्वारा जनसुनवाई में उठाये गए मुद्दों का निराकरण वर्तमान में चल रहे खदान संचालकों द्वारा किया जाता है तो ग्रामीणों का समस्या का समाधान हो सकता है इसलिए संबंधित विभागों द्वारा पर्यावरण ठीक करने हेतु निर्देश दिया जाना आवश्यक है एवं नियमों का कड़ाई से पालन जैसे धूल को रोकने हेतु – वृक्षारोपण, पानी का छिड़काव, आवागमन हेतु निर्मित सड़क का रख रखाव, हैवी ब्लास्टिंग को रोकना एवं आस–पास के जल स्त्रोतों का संरक्षण इत्यादि कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के समक्ष विचार किये जाने हेतु प्रेषित किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न बिन्दुओं तथा आपत्तियों के संबंध में तीन सदस्यीय उपसमिति का गठन कर निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस. ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रेषित किया गया था।
2. उपसमिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27/02/2024 को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। **जाँच उपरांत गठित समिति का मत यह था कि:–**
    - i. श्री कमलेश कुमार देवांगन द्वारा प्रस्तावित नया खदान की भूमि– 1.84 हेक्टेयर निजी है एवं अभी तक उसके द्वारा किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं की गयी है।
    - ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नए खदान खोलने हेतु उपरोक्तानुसार निरीक्षण प्रतिवेदन में वर्णित (अ) (ब), (स) जो आवश्यक शर्तें हैं उसको पूर्ण किया है।
    - iii. परियोजना प्रस्तावक ने किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।

iv. परियोजना प्रस्तावक ने शासन / विभाग द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में दिए जाने वाले समस्त अधिरोपित शर्तों का पालन करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

निरीक्षण में उप समिति ने यह भी पाया कि प्रस्तावित खदान के अतिरिक्त समूह में 25 खदाने स्वीकृत है जिसका रकबा लगभग 46.428 हेक्टेयर है इसके अतिरिक्त 2 प्रस्तावित भी है, जिसमें मुढ़पार, चुनकट्टा एवं पतोरा ग्राम शामिल है। उपसमिति ने यह तथ्य पाया कि वर्तमान में संचालित 25 खदानों में से अधिकांश खदान मालिकों द्वारा पर्यावरण शर्तों/खनन शर्तों एवं अन्य निर्धारित शर्तों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है संभवतः इसी कारण ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया गया है यह तथ्य जनसुनवाई के द्वारा परिलक्षित हुआ जिसका विवरण दिया जा चुका है। जनसुनवाई एवं परियोजना प्रस्तावक के रिप्लाई में उल्लेखित है।

यद्यपि अधिकांश लोगों ने उक्त प्रस्तावित खदान को खोलने का विरोध किया है, लेकिन अधिकांश लोगों ने विरोध का कोई भी कारण लिखित या मौखिक में नहीं बताया है केवल विरोध है। तथा कुछ लोगों ने लिखित में खदान खोलने हेतु समर्थन किया है।

सरपंच ग्राम पंचायत मुढ़पार ने 10/01/2024 को एक पत्र क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई के माध्यम से अध्यक्ष/सदस्य सचिव को खदान खोलने के समर्थन में प्रेषित किया है जिसमें गांव के ही कुछ पंच एवं 30–35 लोगों ने खदान खुलने की सहमति में हस्ताक्षर किया है।

उपसमिति का यह अभिमत है कि क्लस्टर में सम्मिलित उक्त खदान संचालकों द्वारा जनसुनवाई में उठाये गए मुद्दों का निराकरण वर्तमान में चल रहे खदान संचालकों द्वारा किया जाता है तो ग्रामीणों का समस्या का समाधान हो सकता है इसलिए संबंधित विभागों द्वारा पर्यावरण ठीक करने हेतु निर्देश दिया जाना आवश्यक है एवं नियमों का कड़ाई से पालन जैसे धूल को रोकने हेतु – वृक्षारोपण, पानी का छिड़काव, आवागमन हेतु निर्मित सड़क का रख रखाव, हैवी ब्लास्टिंग को रोकना एवं आस–पास के जल स्त्रोतों का संरक्षण इत्यादि कराया जाना आवश्यक है।

निरीक्षण प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि जनसुनवाई में उठाये गए आपत्तियाँ वर्तमान में संचालित खदानों द्वारा पर्यावरण शर्तों/खनन शर्तों एवं अन्य निर्धारित शर्तों का ठीक से पालन नहीं किये जाने के कारण किया गया है। आवेदित खदान एक नवीन खदान है, जिसे क्लस्टर में शामिल अन्य खदानों द्वारा शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारणों से आवेदित खदान को दंडित नहीं किया जा सकता है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा भी उक्त प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को भेजा गया है, जिसमें आवेदित प्रकरण पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। अतः एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा भेजे गये निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों/ सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 770/खनि. लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 18/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 27 खदानें, क्षेत्रफल 46.428 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़पार) का रकबा 1.84 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मुढ़पार) को मिलाकर कुल रकबा 48.268 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से

500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. मेसर्स मुड़पार लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री कमलेश देवांगन) को ग्राम–मुड़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 31/1(पार्ट), 31/2(पार्ट), 33, 34, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/2(पार्ट), 65/1(पार्ट), 65/2(पार्ट) एवं 66/3(पार्ट) में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.84 हेक्टेयर, क्षमता–25,001.25 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया।

4. आवेदित खदान के आस–पास स्थित क्लस्टर में शामिल जिन खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन नहीं किया जा रहा है, उन खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने तथा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

13. मेसर्स सेमई आर्डिनरी स्टोन माईन (माँ जगदम्बे भवानी स्टोन वर्क्स, पार्टनर– श्री जीवेन्द्र नाथ त्रिपाठी), ग्राम–सेमई, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2263)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 413854/ 2023, दिनांक 10/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सेमई, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 655, कुल क्षेत्रफल–0.26 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–678.6 टन (261 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 28/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 656, कुल क्षेत्रफल–0.26 हेक्टेयर, क्षमता – 261 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 12/12/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 11/12/2021 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को दिनांक 27/02/2023 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु आवेदन प्रेषित किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 60 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 4182/खनिज/2023 सूरजपुर, दिनांक 06/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
01/12/2017 से 31/12/2017	20
01/01/2018 से 30/06/2018	230
01/07/2018 से 31/12/2018	निरंक
01/01/2019 से 30/06/2019	230
01/07/2019 से 31/12/2019	30
01/01/2020 से 30/06/2020	210

01 / 07 / 2020 से 30 / 09 / 2020	निरंक
01 / 10 / 2020 से 31 / 03 / 2021	निरंक

समिति का मत है कि दिनांक 01 / 04 / 2021 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धन्दीरा का दिनांक 03 / 10 / 2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमई का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1721 / खनिज / 2017 सूरजपुर, दिनांक 05 / 05 / 2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 453 / खनिज / 2022 सूरजपुर, दिनांक 07 / 03 / 2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 453 / खनिज / 2022 सूरजपुर, दिनांक 07 / 03 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स माँ जगदम्बे भवानी स्टोन वर्क्स के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 25 / 05 / 2010 से 24 / 05 / 2020 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 25 / 05 / 2020 से 24 / 05 / 2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री मुकेश गोयल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर के ज्ञापन क्रमांक / मा.चि. / 931 अंबिकापुर, दिनांक 23 / 02 / 2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सेमई 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–सेमई 1.20 कि.मी. एवं अस्पताल प्रतापपुर 2.80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27.1 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.1 कि.मी. दूर है। तालाब 400

मीटर, घरहारी नदी 500 मीटर, मौसमी नाला 500 मीटर एवं नहर 7.5 कि.मी दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 37,180 टन, माईनेबल रिजर्व 6,766 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 6,089 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 35,100 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 4,217 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,730 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 430 घनमीटर है, इस मिट्टी का उपयोग लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	585	षष्टम	702
द्वितीय	604.5	सप्तम	764.4
तृतीय	713.7	अष्टम	721.5
चतुर्थ	733.2	नवम	715
पंचम	780	दशम	442

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 168 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 60 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 108 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,080 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 8,400 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,89,480 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,33,600 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
4.53	2%	0.0906	Following activities at Government High School **Village-Mayapur-I**	
			Donation of books related to Environment Conservation	0.075
			Steel Almira	0.050
			Total	**0.125**

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 01/04/2021 से अद्यतन स्थिति तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमई का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वनमण्डलाधिकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/04/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 519वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

   अ) प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करते हुए स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण एवं शपथ पत्र:–

   एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, MOEFCC नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का सर्टिफाईड कम्प्लायंस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है सर्टिफाईड कम्प्लायंस के संबंध में समिति के 476वीं बैठक दिनांक 19/07/2023 में विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से MOEFCC नई दिल्ली से "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non&Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के संबंध में

MOEFCC नई दिल्ली द्वारा हमे जो भी दिशा निर्देश दिया जावेगा मैं उसका पालन करूगा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

ब) MOEF के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक F. No. IA3&22/11/2023&IA.III [E 208230] दिनांक 28/04/2023 – उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के अनुसार पैरा क्रमांक 5 में बिंदु 1 से 10 तक में रिप्रोजल के प्रकरणों मे आवश्यक / वांछित प्रपत्रों की सूची में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की जानकारी जमा कराए जाने का उल्लेख नहीं है।

वर्तमान मे SEAC/SEIAA द्वारा रिअप्रेजल के प्रकरणों में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन के स्थान पर स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा रही है। मेरे द्वारा स्वप्रमाणित पालन प्रतिवेदन आपके समक्ष जमा किया जा चुका है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मेरे प्रकरण में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता को निरस्त करने का अनुरोध है।

इस हेतु MOEFCC नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने के संदर्भ मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त स्पष्टीकरणों को स्वीकार करते हुये प्रकरण मे पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, इस परिपेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 99/खनिज/2023–24 सूरजपुर, दिनांक 02/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 01/04/2021 से दिनांक 11/12/2021 तक निरंक है तथा दिनांक 12/12/2021 से पर्यावरणीय स्वीकृति समाप्त हो जाने के पश्चात् से उत्खनन कार्य पूर्णतः बंद पाया गया है।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सेमई का दिनांक 04/10/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./546 सूरजपुर, दिनांक 13/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 550 मीटर की दूरी पर है तथा 10 कि.मी. की परिधि में नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य स्थित नहीं है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 453/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 07/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-सेमई) का क्षेत्रफल 0.26 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स सेमई आर्डिनरी स्टोन माईन (माँ जगदम्बे भवानी स्टोन वर्क्स, पार्टनर- श्री जीवेन्द्र नाथ त्रिपाठी) को ग्राम-सेमई, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर के खसरा क्रमांक 655, में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.26 हेक्टेयर, क्षमता - 678.6 टन (261 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही यह अनुशंसा भविष्य में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक - मेसर्स सेमई आर्डिनरी स्टोन माईन (माँ जगदम्बे भवानी स्टोन वर्क्स, पार्टनर- श्री जीवेन्द्र नाथ त्रिपाठी) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:-

    i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

iv. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर उसी अनुसार प्रभावित होगी एवं समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

14. मेसर्स कोट आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.–श्री रवि कुमार गुप्ता), ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2586)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 437508/2023, दिनांक 25/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 247, 248 एवं 249, कुल क्षेत्रफल–1.62 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 15,307.87 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all

such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 26/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रवि कुमार गुप्ता, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 247, 248 एवं 249, कुल क्षेत्रफल–1.62 हेक्टेयर, क्षमता–5,467.09 घनमीटर (15,307.87 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 27/09/2016 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को आवेदन किया गया है।

   प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम अनुसार रिअप्रेजल के प्रकरण के लिए चाही गई जानकारी के लिए पैरा क्रमांक 5 में बिंदु 1 से 10 तक में आवश्यक/वांछित प्रपत्रों की सूची में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की जानकारी जमा कराए जाने का उल्लेख नहीं है अर्थात् रिअप्रेजल के प्रकरणों में डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं है।

   अतः डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति को एस.ई.आई.ए.ए. के द्वारा रिअप्रेजल का प्रकरण है एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित प्रकरण में प्रमाणित पालन प्रतिवेदन की आवश्यकता नहीं बन रही है। उपरोक्त दोनों ऑफिस मेमोरेंडम पर प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सेल्फ सर्टिफाईड पालन प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी करने हेतु अनुरोध किया गया है।

   iii. लीज क्षेत्र में 350 नग पौधों का वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 225/खनिज/उ.प./2023/कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018	176
2019	2,770
2020	3,720
2021	4,010
2022	150
2023 माह जून तक	50

समिति का मत है कि सितम्बर, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक किये गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत सरईगहना (आश्रित ग्राम कोट) का दिनांक 09/12/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 644/खनिज/खलि2/2016/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 28/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 226/खनिज/उ.प./2023/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 226/खनिज/उ.प./2023/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, सड़क, तालाब, नहर, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। कच्ची सड़क 25 मीटर एवं गेज नदी 110 मीटर है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री रवि कुमार गुप्ता के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/10/2014 से 12/10/2024 तक की अवधि हेतु वैध होगी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/10/2024 से 12/10/2044 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वन मंडल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./229 बैकुण्ठपुर, दिनांक 20/02/2006 जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला–कोरिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कोट 900 मीटर, स्कूल ग्राम–कोट 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुण्ठपुर 6.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.75 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है। गेज नदी 110 मीटर, तालाब 930 मीटर, मौसमी नाला 1.5 कि.मी. एवं नहर 4.75 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – पूर्व में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,18,016 टन, माईनेबल रिजर्व 1,44,170 एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,29,753 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,67,289 टन, माईनेबल रिजर्व 93,443 एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 84,099 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,959.33 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 10,165.83 घनमीटर है। जिसमें से 1,388 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए तथा शेष 8,778 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि (खसरा क्रमांक 337/1, रकबा 0.42 हेक्टेयर क्षेत्र) में संग्रहित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,959.72	षष्टम	15,307.87
द्वितीय	13,640.18	सप्तम	15,307.87
तृतीय	15,307.87	अष्टम	15,307.87
चतुर्थ	15,307.87	नवम	15,307.87
पंचम	15,307.87		

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 783 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से वर्तमान में 350 नग वृक्षारोपण किया गया है तथा शेष 433 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 433 नग पौधों के लिए राशि 43,300 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 66,000 रूपये, खाद के लिए राशि 39,200 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,55,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,03,500 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 7,56,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 3959.33 वर्गमीटर है जिसमें से 1062.08 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक viii (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – क्वारी प्लान अनुसार 240 वर्गमीटर क्षेत्र को रैम्प निर्माण हेतु गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.47	2%	0.26	Following activities at **Village-Modipara**	
			Plantation at Village pond	0.52
			Total	**0.52**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब पर (आम, कटहल एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में तालाब के चारों ओर 15 नग वृक्ष हैं तथा शेष 25 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,250 रूपये, खाद के लिए राशि 1,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 5,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 17,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत मोदीपारा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 546 एवं 547, क्षेत्रफल 0.47 हेक्टेयर में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. लीज क्षेत्र के अंदर किये गये वृक्षारोपण का संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा, खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण व संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे:–

i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत मई नहीं किया जावेगा।
ii. खदान कार्यालय से उत्पनन घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किये जाएंगे।
iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतों में छोड़ा जावेगा।
iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।
v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।
vi. यथा संभव तालाब के चारो ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 930 मीटर तथा नहर 4.75 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक i से vi के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. डस्ट सप्रेशन हेतु बोरवेल के पानी का उपयोग नहीं किये जाने तथा खदान में भरे हुये पानी का उपयोग किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. विगत वर्ष माह सितम्बर, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक किये गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. निकटतम वन क्षेत्र से आवेदित क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला कोरिया का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भरण प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा उक्त प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 686/खनिज/उ.प./2024/कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
सितम्बर 2016	1,080
2017	4,389
2018	176
2019	2,771
2020	3,720
2021	4,010
2022	150
2023	667

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अ./987 बैकुण्ठपुर, दिनांक 08/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 कि.मी., निकटतम राष्ट्रीय अभ्यारण्य की दूरी 30 कि.मी.एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 48 कि.मी पर है।

3. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी को पुनर्स्थापित किये जाने के संबंध में पुनः स्थापन प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया गया है।

4. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि), ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 226/खनिज/उ.प./2023/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–कोट) का क्षेत्रफल 1.62 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कोट आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री रवि कुमार गुप्ता) को ग्राम–कोट, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 247, 248 एवं 249, में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.62 हेक्टेयर, क्षमता–15,307.87 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कोट आर्डिनरी स्टोन माईन (प्रो.– श्री रवि कुमार गुप्ता) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन करवाकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के तहत् तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के सत्यापन हेतु जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

15. मेसर्स विराट मिनरल्स (अमलगेमेशन आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी, प्रो.– श्री रमेश कुमार सुराना), ग्राम–धुरली, तहसील–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2615)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/438877/ 2023, दिनांक 02/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित दो साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदानों का अमलगेमेशन है। समामेलित खदान ग्राम–धुरली, तहसील–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 988/2, कुल क्षेत्रफल–3.24 हेक्टेयर में है। खदान की कुल आवेदित उत्खनन क्षमता–1,68,858 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 491वीं बैठक दिनांक 12/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार सुराना, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म अटल नगर नवा रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 172/खनि 02/उ.प. समामेलन/न.क्र. 04/2021 नवा रायपुर, दिनांक 10/01/2023 द्वारा मेसर्स विराट मिनरल्स (प्रो.– श्री रमेश कुमार सुराना) को स्वीकृत खदान खसरा क्रमांक 988/2 क्षेत्रफल 1.42 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 988/2 क्षेत्रफल 1.82 हेक्टेयर का कुल क्षेत्रफल 3.24 हेक्टेयर हेतु समामेलन किया गया है।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मेसर्स यूनिक मिनरल्स, प्रो.– श्री आशीष मालवीय को साधारण पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 988/2, कुल क्षेत्रफल–1.82 हेक्टेयर, क्षमता–32,823 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/12/2016 को जारी की गई।

   ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 803/खनिज/जा./2023–24 दंतेवाड़ा, दिनांक 20/09/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	2,397
2019–20	10,668
2020–21	11,613
2021–22	14,000
2022–23	19,553

iii. पूर्व में मेसर्स यूनिक मिनरल्स, प्रो. श्री आशीष मालवीय को साधारण पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 988/2, कुल क्षेत्रफल–1.420 हेक्टेयर, क्षमता–31,130 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/12/2016 को जारी की गई।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 604/खनिज/जा./2023–24 दंतेवाड़ा, दिनांक 20/09/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	3,754
2019–20	13,268
2020–21	11,105
2021–22	11,440
2022–23	10,885

v. वर्तमान में 705 नग पौधों का रोपण कर फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

vi. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

vii. समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/12/2016 से दिनांक 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में किये गये उत्खनन की जानकारी टन में उल्लेखित करते हुये खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत धुरली का दिनांक 04/01/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (अमलगेमेशन) विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (ख.प्र.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 848–849/खनिज/उत्ख.यो. अनु./उ.प./2023 कांकेर, दिनांक 28/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 170/खनिज/उ.प./2023–24 दंतेवाड़ा, दिनांक 11/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 171/खनिज/उ.प./2023–24 दंतेवाड़ा, दिनांक 11/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, पुल, राज्यमार्ग, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म अटल नगर नवा रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 172/खनि 02/उ.प. समामेलन/न.क्र. 04/2021 नवा रायपुर, दिनांक 10/01/2023 द्वारा उक्त लीजों का समामेलन (amalgamation) मेसर्स विराट मिनरल्स, प्रो.– श्री रमेश कुमार सुराना के नाम पर किया गया। सम्मिलित (amalgamated) लीज डीड की वैधता दिनांक 20/01/2027 तक है। लीजों का समामेलन (amalgamation) विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	पट्टेदार का नाम	खसरा क्रमांक	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टेयर)	अवधि
1.	मेसर्स विराट मिनरल्स, प्रो.– श्री रमेश कुमार सुराना	988/2 (पार्ट)	1.42	दिनांक 21/01/1997 से 20/01/2027 तक
2.	मेसर्स विराट मिनरल्स, प्रो.– श्री रमेश कुमार सुराना	988/2 (पार्ट)	1.82	दिनांक 21/01/1997 से 20/01/2027 तक
	समामेलन पश्चात् कुल क्षेत्र		3.24 हेक्टेयर	

पूर्व में लीज मेसर्स यूनिक मिनरल्स दंतेवाड़ा, प्रो. श्री आशीष मालवीय के नाम पर थी जिसका हस्तांतरण दिनांक 09/04/2021 को मेसर्स विराट मिनरल्स, प्रो.– श्री रमेश कुमार सुराना के नाम पर किया गया।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमंडल, जिला–दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./4915 दंतेवाड़ा, दिनांक 19/07/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धुरली 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–भांसी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–भांसी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। शंकनी नदी 2.7 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 13,04,383 टन एवं माईनेबल रिजर्व 6,37,279 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,127.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। भू-तल से उत्खनन की अधिकतम गहराई 6 मीटर तथा उत्खनन हेतु पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 27 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी उपस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 4 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 630 वर्गमीटर है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,66,858.00
द्वितीय	1,67,641.65
तृतीय	1,67,328.95
चतुर्थ	1,66,833.40

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरों के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,740 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,14,840 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,48,000 रूपये, खाद के लिए राशि 13,050 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 3,75,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 8,50,890 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,55,896 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है)

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 697/ खनिज/ उ.प./ समा.01/ 2022–23 दंतेवाड़ा, दिनांक 25/11/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार रैंप (Slope) निर्माण हेतु स्वीकृत क्षेत्र के बाहर लगभग मात्रा 290 घनमीटर खनिज का अवैध उत्खनन किया गया है। उक्त के संबंध में उनके विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाकर रूपये 1,22,500/– अर्थदण्ड आरोपित कर राशि वसूल की गई है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
45	2%	0.90	Following activities at Village- Dhurli	
			Pavitra van Nirman	5.20
			Total	**5.20**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,300 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद के लिए राशि 750, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,49,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,63,050 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,57,440 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत धुरली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1256, क्षेत्रफल 0.95 हेक्टेयर में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सर्फेस जियोलॉजिकल प्लान अनुसार क्रशर, लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में प्रदर्शित हो रहा है। समिति का मत है कि उत्खनन के लिए प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर स्थापित किया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्तानुसार सर्फेस प्लान (Surface plan) को संशोधित कर खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का 5 वर्षों तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अंदर सी.ई.आर. प्रपोजल राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रपोजल के अनुसार खर्च करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रपोजल के अनुसार चिन्हित जगह पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. क्रशर यूनिट को अच्छे से कव्हर करके चलाये जाने एवं सुरक्षा का ध्यान रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नदी, नाला नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 07/12/2016 से दिनांक 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किये गये उत्खनन की जानकारी टन में उल्लेखित करते हुये खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. उत्खनन के लिए प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर स्थापित किये जाने हेतु संशोधित सर्फेस प्लान (Surface plan) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

क्रमानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2024 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 12/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 9458, दिनांक 29/02/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 961/खनिज/जा./2023-24 दंतेवाड़ा, दिनांक 20/12/2023 द्वारा खसरा क्रमांक 983/2, रकबा 4.5 एकड़ क्षेत्र में विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016-17	निरंक
2017-18	203.[illegible]8

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 962/खनिज/जा./2023-24 दंतेवाड़ा, दिनांक 20/12/2023 द्वारा खसरा क्रमांक 998/2, रकबा 3.5 एकड़ क्षेत्र में विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016-17	निरंक
2017-18	590.08

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/745-1/खनिज/जा./2023-24 दंतेवाड़ा, दिनांक 17/10/2023 द्वारा खसरा क्रमांक 983/2, रकबा 4.5 एकड़ क्षेत्र में विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की संशोधित जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	3,907.11
2019-20	17,300.84
2020-21	19,823.19
2021-22	27,820.00
2022-23	31,871.38

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक/745-2/खनिज/जा./2023-24 दंतेवाड़ा, दिनांक 17/10/2023 द्वारा खसरा क्रमांक 998/2, रकबा 3.5 एकड़ क्षेत्र में विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की संशोधित जानकारी निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018–19	6,118.02
2019–20	21,626.84
2020–21	18,101.15
2021–22	18,647.20
2022–23	17,742.55

3. उत्खनन के लिए प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी को छोड़कर लीज क्षेत्र के भीतर क्रशर स्थापित किये जाने हेतु संशोधित सरफेस प्लान (Surface plan) प्रस्तुत किया गया है।
4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्व भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 170/खनिज/उ.प./2023–24 दंतेवाड़ा, दिनांक 11/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–धुरली) का क्षेत्रफल 3.24 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स विराट मिनरल्स (अमलगेमेशन आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी, प्रो.– श्री रमेश कुमार सुराना) को ग्राम–धुरली, तहसील–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 988/2 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.24 हेक्टेयर, क्षमता–1,68,858 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मैसर्स विराट मिनरल्स (अमलगेमेशन आर्डिनरी स्टोन क्वॉरी, प्रो.– श्री रमेश कुमार सुराना) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के सत्यापन हेतु जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

16. मैसर्स रायपुर फोर्जिंग प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–3), प्लॉट नं. 4, उरला इंडस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2661)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/443314/2023, दिनांक 06/09/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इंडस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर, प्लॉट नं. 4, कुल क्षेत्रफल–0.4065 हेक्टेयर में रेगुलाईजेशन ऑफ हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल (इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता–24,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रूपए 4.20 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 495वीं बैठक दिनांक 08/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील केडिया, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा एम.एस. इंगॉट्स क्षमता–24,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति दिनांक 31/03/2018 को जारी की गई। जिसकी सम्मति नवीनीकरण वैधता दिनांक 31/01/2023 तक वैध थी।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- समीपस्थ आबादी उरला 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन उरकुरा 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 3.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लीज का विवरण – छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दिनांक 21/01/2010 के द्वारा मेसर्स रायपुर फोर्जिंग प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट–3) को जारी किया गया है। लीज डीड अनुसार उरला इंडस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर, प्लॉट नं. 4, कुल क्षेत्रफल–1 एकड़ भूमि में उद्योग स्थापना आदि कार्य हेतु आबंटन किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 21/01/2010 से दिनांक 20/01/2109 तक है।

4. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S. No.	Particular	Area (m^2)	Area (%)
1.	Building Sheds	2,362.32	58.11
2.	Road	339.42	8.35
3.	Green Belt Area	1,341.85	33.01
4.	Open Land Area	21.41	0.53
Total		4,065	100

5. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Transportation
1.	Sponge Iron and Scraps / Pig Iron	27,000	Open Market	By Road

6. स्थापित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular Unit	Existing Capacity
1.	Hot charged Re-rolled Products	24,000 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 35 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। समिति का मत है कि वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – परियोजना से मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग 600 टन प्रतिवर्ष एवं स्लेग 1,500 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल एवं एण्ड कटिंग को समीपस्थ स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। स्लेग को ईंट निर्माण ईकाइयों में विक्रय किया जाता है।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 10 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, कूलिंग हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीनबेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से की जाती है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से कूलिंग उपरांत जनित दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट स्थापित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

10. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 5,000 के.व्ही.ए. विद्युत की आवश्यकता होती है। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी

लिमिटेड से की जाती है। समिति का मत है कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट कॉन्फिगरेशन एवं चिमनी की ऊँचाई के संबंध में जानकारी फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.1341 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित क्षेत्र में प्लांट ले–आउट के अनुसार 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका का क्षेत्रफल 33 प्रतिशत से बढ़ाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत किया जाना आवश्यक है, अतः आवेदित क्षेत्र के भीतर 33 प्रतिशत वृक्षारोपण तथा आवेदित क्षेत्र के 5 कि.मी. की परिधि में शेष 7 प्रतिशत वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। वृक्षारोपण हेतु (पौधों की संख्या सहित) पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 नवम्बर 2023 से 15 फरवरी 2024 के मध्य किया जा रहा है।

14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "The Central Government hereby directs that all the standalone re-rolling units or cold rolling units, which are in existence and in operation as on the date of this notification, with valid Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the concerned State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee, as the case may be, shall apply online for grant of Terms of Reference (ToR) followed by Environment Clearance and the said units shall be granted Standard Terms of Reference as per item 3(a) of the said notification and shall be exempted from the requirement of public consultation.

    Provided that the application for the grant of ToR shall be made within a period of one year from the date of this notification." का उल्लेख है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall submit certified compliance report from Chhattisgarh Environment Conservation Board of air and water consent.

ii. Project proponent shall submit the plant layout plan with KML file.

iii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iv. Project proponent shall submit the details of phenolic water generation and its disposal facility / mechanism.

v. Project proponent shall submit details of air pollution control equipments with stack height calculation and pollution emission level calculation.

vi. Project proponent shall submit the annual audited balance sheet of last financial year (CA certified report).

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

ix. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rainwater harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

x. Project proponent shall submit details of Traffic impact study report.

xi. Project proponent shall submit details of DG set alongwith stack height calculation.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit the details of plantation (atleast 40% of the total plant area) undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the detailed DPR alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit CER proposal of atleast 1.5 times the slab given in the OM dated 01.05.2018 for SPA and 2 times for CPA.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate detailed DPR in the EIA report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/08/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 2215(अ), दिनांक 07/06/2024 के अनुसार आवेदित प्रकरण में उल्लेखित क्षमता हेतु टी.ओ.आर./पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स मयाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती उमादेवी सिंह), ग्राम–मयाली, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2082)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 279912/2022, दिनांक 27/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–मयाली, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 247/1, कुल क्षेत्रफल–1.81 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–26,946.40 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 447वीं बैठक दिनांक 13/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि दस्तावेज अपूर्ण होने के कारण आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 468वीं बैठक दिनांक 12/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती उमादेवी सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 247/1, कुल क्षेत्रफल–1.81 हेक्टेयर, क्षमता–1,55,488.97 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति

दिनांक 14/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 13/09/2019 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि निर्धारित शर्तानुसार 359 नग वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 568/खनि.शा./2023 जशपुर, दिनांक 19/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018	11,436
2019	54,800
2020	निरंक
2021	निरंक
2022	निरंक

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13/09/2019 तक थी। समिति का मत है कि वर्ष 2019 में किये गये वास्तविक उत्पादन की माहवार जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत मण्डरी का दिनांक 09/07/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1836/ख.लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 14/09/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 155/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 20/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 154/खनि.शा./2022 जशपुर, दिनांक 20/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, एनीकट, पुल, रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती उमा देवी सिंह के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/03/2012 से 11/03/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/03/2022 से दिनांक 11/03/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./2011/3007, दिनांक 26/08/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मयाली 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–मयाली 2 कि.मी. एवं अस्पताल कुनकुरी 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। बलजोरा नाला 3 कि.मी. एवं बांध 1.8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,60,014 टन, माईनेबल रिजर्व 1,34,732 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,21,258 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,918 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन की मोटाई 0.1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,946.4
द्वितीय	26,946.4
तृतीय	26,946.4
चतुर्थ	26,946.4
पंचम	26,946.4

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल आपूर्ति हेतु स्त्रोत एवं संबंधित विभाग/शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 369 नग वृक्षारोपण किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,918 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक गहराई तक उत्खनन होने के कारण वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। उनके द्वारा 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी क्षेत्र के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित क्षेत्र के समीप अन्य भूमि में वृक्षारोपण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में सहमति प्राप्त अथवा निजी भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) तथा आवेदित क्षेत्र से दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में (यथा संभव स्थल पर) वृक्षारोपण एवं प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित क्षेत्र के समीप अन्य भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, **Village- Mayali**	
			Pavitra Van Nirman	2.988
			Total	**2.988**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के

लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 53,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,98,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भण्डारी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 247/1, क्षेत्रफल 9.162 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्ष 2019 में किये गये वास्तविक उत्पादन की माहवार जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन की कुल मात्रा एवं ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन का प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
5. जल आपूर्ति हेतु स्त्रोत एवं संबंधित विभाग/शाखा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में (यथा संभव स्थल पर) वृक्षारोपण एवं प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित क्षेत्र के समीप अन्य भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त के संबंध में सहमति प्राप्त अथवा निजी भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा एवं क्षेत्रफल सहित) तथा आवेदित क्षेत्र से दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् कम से कम 5 वर्षों तक देख–रेख किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स आर सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/07/2023 के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज क्रमशः दिनांक 23/02/2024 एवं दिनांक 04/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 521वीं बैठक दिनांक 27/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 9382, दिनांक 22/02/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार 31 शर्तों में से 02 शर्त अपूर्ण एवं 01 शर्त आंशिक पूर्ण तथा 28 शर्तों का पालन किया जा रहा है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 305/खनि. शा./2023 जशपुर, दिनांक 10/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष में किये गये उत्पादन की माहवार जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
जनवरी 2019	400
फरवरी 2019	7,800
मार्च 2019	7,000
अप्रैल 2019	निरंक
मई 2019	5,000
जून 2019	12,000
जुलाई 2019	11,800
अगस्त 2019	11,000
सितम्बर 2019	200
अक्टूबर 2019	
नवम्बर 2019	निरंक
दिसम्बर 2019	

4. ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति नजदीकी नाला या तालाब से एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 359 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,180 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 12,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 89,180 रूपये एवं रख–रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 2,00,800 रूपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भण्डरी के सहमति उपरांत पर्याप्त योग्य स्थान (खसरा क्रमांक 247/1, क्षेत्रफल 9.162 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

7. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/07/2023 के माध्यम से माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया गया है।

8. एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 31/07/2023 के माध्यम से प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है।

9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि में सी.ई.आर. के अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण के पश्चात् कम से कम 5 वर्षों तक देख–रेख किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

19. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 155/खनि. शा./2022 जशपुर, दिनांक 20/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मयाली) का क्षेत्रफल 1.81 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मयाली) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.81 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स मयाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती उमादेवी सिंह) को ग्राम–मयाली, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 247/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 1.81 हेक्टेयर, क्षमता–26,946.40 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मयाली आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती उमादेवी सिंह) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन करावार अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण के तहत् किये जाने वाले कार्य के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

18. मेसर्स तितिरगांव लाईम स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्री आसकरण बोथरा), ग्राम–तितिरगांव, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2619)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 439161/2023, दिनांक 04/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–तितिरगांव, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 55, कुल क्षेत्रफल–2.37 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–33,412.5 टन प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 481वीं बैठक दिनांक 12/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष नायर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 55 कुल क्षेत्रफल–2.37 हेक्टेयर, क्षमता–33,412.6 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जगदलपुर, जिला–बस्तर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03/12/2016 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 500 नग पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। समिति का मत है कि रोपित किये गये पौधो की गणना कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 580/खनिज/ख.लि.07/उत्ख./2023 जगदलपुर, दिनांक 26/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	1,107
2019–20	710
2020–21	1,510
2021–22	745
2022–23	590

समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03/12/2016 से दिनांक 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत टिकिरगांव का दिनांक 18/04/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इनवायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 182/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 07/06/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 646/खनिज/ख.लि./02/2023–24/उ.प./2023 जगदलपुर, दिनांक 10/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य स्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 646/खनिज/ख.लि./02/2023–24/उ.प./2023 जगदलपुर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री आसकरण बोथरा के नाम पर है। लीज क्षेत्र 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/07/2007 से 17/07/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज क्षेत्र 20 वर्षों अर्थात दिनांक 18/07/2017 से दिनांक 17/07/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, बस्तर सामान्य वनमण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2236 जगदलपुर, दिनांक 25/06/2007 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावित लीज क्षेत्र में महुआ प्रजाति के 6 नग वृक्ष स्थित है। उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–तितिरगांव 250 मीटर, स्कूल ग्राम–तितिरगांव 550 मीटर एवं अस्पताल जगदलपुर 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. दूर है। इंद्रावती नदी 250 मीटर की दूरी पर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,82,970 टन, माईनेबल रिजर्व 3,08,122 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,77,310 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,441 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 5,200 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,647.5	षष्टम	30,802.5
द्वितीय	21,907.5	सप्तम	31,042.5
तृतीय	25,792.5	अष्टम	31,192.5
चतुर्थ	28,432.5	नवम	32,175.0
पंचम	30,517.5	दशम	33,412.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। 2 घनमीटर प्रतिदिन भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। शेष 1 घनमीटर प्रतिदिन हेतु जल आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 35,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 5,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 18,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,58,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 88,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर विद्यालय तितिरगांव में 50 नग वृक्षारोपण का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। विद्यालय परिसर में 50 नग वृक्षारोपण करने हेतु उपयुक्त क्षेत्र नहीं होने के कारण उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपरांत भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. रोपित किये गये 500 नग पौधो की नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03/12/2016 से दिनांक 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. शेष 1 घनमीटर प्रतिदिन जल हेतु जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 521वीं बैठक दिनांक 27/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रोपित किये गये 500 नग पौधों की नम्बरिंग कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 05/खनिज/ख.लि.02/उत्ख./2023–24 जगदलपुर, दिनांक 11/01/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

दिनांक	उत्पादन (घनमीटर)
03/12/2016 से 31/03/2017 तक	1,638
2017–18	607

3. ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन 5,200 घनमीटर को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में 1 मीटर की ऊंचाई तक फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।
4. शेष 1 घनमीटर प्रतिदिन जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर ही कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. कन्ट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
19.70	2%	39.40	Following activities at Nearby Govt. Higher Secondary School, **Village- Titirgaon**	
			Plantation	0.56
			Total	**0.56**

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में (नीम, आम, जामुन, कदम, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 6,400 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 30,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 26,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 646/खनिज/ख.लि./02/2023–24/उ.प./2023 जगदलपुर, दिनांक 10/07/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–तितिरगांव) का क्षेत्रफल 2.37 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स तितिरगांव लाईम स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्री आसकरण बोथरा) को ग्राम–तितिरगांव, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर के खसरा क्रमांक 55 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 2.37 हेक्टेयर, क्षमता–33,412.5 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स तितिरगांव लाईम स्टोन क्वॉरी (प्रो.– श्री आसकरण बोथरा) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

19. मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर – श्री जितेन्द्र व्यास), ग्राम–हरिनछपरा, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2740)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 451124/ 2023, दिनांक 02/11/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा खसरा क्रमांक 203/1 तथा प्लाट नं. A1 एवं A2, ग्राम–हरिनछपरा, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम, कुल क्षेत्रफल–1.9697 हेक्टेयर में प्रस्तावित Aluminium Hydrate of capacity 19,900 TPA alongwith Steam generated Boiler of capacity 10 TPH हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 21 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र व्यास, डायरेक्टर एवं श्री बी. सेनापति, सी.ई.ओ. उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी ग्राम–हरिनछपरा 1.4 कि.मी. एवं शासकीय अस्पताल कवर्धा 6.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन दुर्ग 96.2 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 111 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.5 कि.मी. दूर हैं। बीजानार नाला 100 मीटर एवं सकरी नदी 2.4 कि.मी. की दूरी पर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य 9.1 कि.मी., छपरी संरक्षित वन 5.8 कि.मी. एवं बोरला संरक्षित वन 8.2 कि.मी. की दूरी पर है।

समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उद्योग की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत हरिनछपरा का दिनांक 02/10/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, डॉयरेक्टर–श्री दिनेश कुमार, श्री मुकेश कुमार, श्री पी. ओम प्रकाश के तरफ से आ.मु. श्री संजय कुमार के नाम पर है। क्षेत्रफल 0.37175 हेक्टेयर भूमि को सी.एस.आई. डी.सी. द्वारा दिनांक 31/08/2023 के माध्यम से लीज पर जारी की गई है, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 99 वर्ष तक है।
4. मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
5. मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ रिसोल्युशन की प्रति प्रेषित की गई है।
6. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Alumina Main Plant	0.734	37.26
2.	Utilities and Infrastructures	0.005	0.25
3.	Raw Material Storage	0.052	2.64
4.	Steam Plant/Boiler	0.063	3.197
5.	Boiler Fuel Storage	0.063	3.197
6.	Brick Plant	0.010	0.51
7.	Internal Road and Drains	0.123	6.24
8.	Truck Parking	0.2543	12.89

9.	Green Belt	0.651	33.04
10.	Admin Building	0.010	0.51
11.	Store	0.005	0.25
	Total	**1.9697**	**100**

7. रॉ–मटेरियल –

Raw Material for Aluminium Hydrate

S.No	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transportation
1.	Bauxite (Dry)	41,000	Own Mine	By road
2.	Soda Loss (as NaOH)	1,500	From Traders	By road
3.	Lime	900	From Katni/Bilaspur	By road
4.	Filter Cloth	5	From Traders	By road
5.	Synthetic Flocculants	17.91	From Traders	By road
6.	Rice Husk and Coal	14,000	Husk from Local supplier and coal from open market	By road

Material Balance for Aluminium Hydrate

S.No.	Input		Output	
	Material	Quantity (TPA)	Material	Quantity (TPA)
1.	Bauxite	41,000	Alumina Hydrate	19,900
2.	Caustic Soda	1,500	Bauxite Residue	22,000
3.	Lime	900	Lime Grit	12,000
4.			Reaction Loss/ LOI	1,488
	Total	**43,400**		**43,400**

Material Balance for Boiler

S.No.	Input		Output	
	Material	Quantity (TPA)	Material	Quantity (TPA)
1.	Rice Husk and Coal	14,000	Steam	10 TPH
2.			Ash	3,500
3.			Reaction Loss	10,500
	Total	**14,000**		**14,000**

8. प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –

S.No.	Description	Details
1.	Aluminium Hydrate	19,900 TPA
2.	Steam Generated Boiler	10 TPH

9. प्रस्तावित एल्युमिनियम हाईड्रेड के उत्पादन हेतु बॉक्साईट क्रशिंग एवं ग्राईंडिंग इकाई, प्री–डिसीलिकेशन, डाईल्युशन एवं डाईजेशन, बॉक्साईट रेसिडियू वाशिंग, फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन, हीट एक्सचेन्जर, प्रेसिपिटेशन, प्रोडक्ट एण्ड सीड क्लॉसिफिकेशन, मल्टी–ईफैक्ट ईवैपोरेटर, फिल्ट्रेशन एवं वाशिंग इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

10. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –

Source	Control Equipment	Maximum Particulate Emission at the Outlet
Boiler	Electrostatics Precipitators (ESP)(high performance rigid electrodes with transformer) with stack height of 30 meter	PM<250 mg/Nm³
Bauxite Crushing Unit and Alumina Handling Unit	Bag Filter, Covered Conveyor belts and transfer points	PM<30 mg/Nm³
Grinding Unit	Bag Filter	PM<30 mg/Nm³
Dryers	Bag Filter	PM<30 mg/Nm³
Dust from conveyors and material transfer points	Hoods and enclosures	PM<30 mg/Nm³
For fugitive emission control :- • Provisions of wind barriers (tall barricades/3 meter tall boundary wall and 3 meter nylon screen around it.) • Provisions of enclosure, fogging system, water sprinkling arrangements. • Water sprinkling arrangements in truck parking areas.		

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बॉयलर की चिमनी में कन्टिन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि बॉयलर से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 60 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Waste	Quantity	Management
Bauxite Residue Waste	22,000 TPA	Solid Bauxite Residue cake will be produced using filter press [77-80% solid]. This wastage shall be sold to cement, brick and tiles making industries.
Ash from Boiler	3,500 TPA	Sold to industries like cement, brick making and for land reclamation, bund construction or road sub-base construction. Filling of abandoned coal mines, as per NGT order.
Lime grit from Lime slacker unit [Undissolved part of lime]	12 TPA	The wastes will be mixed with fly ash and 100% used in brick, tiles and block making etc.
Used Oil, Grease and Lubricants	1 kl/year	Collection in barrels, stored onsite at designated place and sold to recyclers authorized by the SPCB/CPCB.
Used oil / grease contaminated filter cloth and other fibre materials	5 TPA	Stored onsite at a designated place and disposed through common HWTSDF.

Municipal Solid Waste	0.5 TPA	Organic waste composter will be installed at site. Non-biodegradable, non-recyclable solid wastes would be disposed through authorized vendor.
Sludge from Neutralization pit	5 TPA	Stored in leak-proof facility within the premises at a designated place and disposed through common HWTSDF

12. फ्यूल संबंधी विवरण –

S.No.	Particulars	Fuel	Fuel Consumption (TPA)	Mode of Transportation	Distance from Site
1.	Fuel in Boiler	Rice Husk & coal	14,000	Truck	Within 100 km
2.	DG set 1 X 500 KVA	HSD	85.6 Ltr/Hr	By Tankers	Within 100 km

13. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु प्रारंभ मे कुल 616.2 घनमीटर (वन टाईम) जल की आवश्यकता होगी, जिसमें से औद्योगिक उपयोग हेतु 601.2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट एवं डस्ट सप्रेशन हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन उपयोग किया जाएगा।

Water In	(KLPD)	Water Out	(KLPD)
Steam	240	Water with Mud	25.42
Bauxite	6.5	Water with Hydrate	3
Caustic	4.9	Cond. to Boiler	93.6
Seal Water	72	Misc. Water	10
Wash Water	120	From Evoparation	360
With Lime	37.8	Boiler Blow down	12
Flocculant	38	Cooling Tower to Atm.	48
PAN Filter Condensate	38	Sub-Total	501.02
Cooling Water Makeup	48	Septic Tank Soak Pit	7
Drinking Water	10		
Plantation and Dust Suppression	5		
Total	**616.20**		**501**

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। समिति का मत है कि भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 13,232 घनमीटर है। समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग परिसर में प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई, चौड़ाई व गहराई) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 1.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 500 के.व्ही.ए. का 1 नग डी.जी. सेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

15. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.651 हेक्टेयर (33.04 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,628 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,95,360 रूपये, खाद के लिए राशि 48,840 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 45,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,71,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,60,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,61,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2100	2%	42	Following activities at, **Village-Harinchhapara**	
			Pavitra Van Nirman	42.00
			Total	**42.00**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" (आम, नीम, करंज, पीपल, बादाम आंवला एवं जामुन आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3,750 नग पौधों के लिए राशि 4,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,94,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,12,500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 3,90,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 4,45,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 17,92,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 24,08,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत हरिनछपरा के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 166, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. बॉयलर से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. बॉक्साईट ओर एवं एल्युमिनियम हाईड्रेट का केमिकल कम्पोजिशन (chemical composition) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित उत्पाद हेतु केमिकल रिऐक्शन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग परिसर में प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई, चौड़ाई व गहराई) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना हेतु आवश्यक रॉ-मटेरियल का परिवहन जिला-कबीरधाम के बाहर से नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. उद्योग के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
14. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् वैज्ञानिक विधि से अपवहन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 508वीं बैठक दिनांक 11/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 04/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./896 कवर्धा, दिनांक 01/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. बॉयलर से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने हेतु ई.एस.पी. एवं चिमनी की ऊंचाई केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के परिमापन हेतु बॉयलर की चिमनी में कन्टीन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सर्वर से सम्बद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

3. बॉक्साईट ओर में aluminium minerals Gibbsitic alimina (THA), Boehmite alumina (MHA), Reactive Silica (R-SiO_2), Iron oxide (Fe_2O_3), Geothite as Fe2O3 (Geo), Titanium oxide (TiO_2), Phosphate (P_2O_5), Total organic carbon and other होना बताया गया है। एल्युमिनियम हाईड्रेट का केमिकल कम्पोजिशन (chemical composition) की निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत किया गया है:–

Parameters	Value
Al_2O_3 (%)	> 64.5 %
Na_2O (%) Total	< 0.25 %
Fe_2O_3 (%)	< 0.02 %
Moisture (%)	< 5.0 %
LOI (%)	< 35 %
Mesh Size (-45 Micron)	< 12 %

4. प्रस्तावित उत्पाद हेतु केमिकल रिऐक्शन के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जो निम्न है:–

$$Al_2O_{3(s)} + 2NaOH_{(aq)} \longrightarrow 2\,NaAlO_{2(aq)} + H_2O$$

(From impure baudite ore) → Sodium meta aluminate

$$SiO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$$

The filtrate containing sodium meta aluminate and sodium silicate is stirred with a little aluminium hydroxide to induce precipitation of aluminium hydroxide

$$NaAlO_{2(aq)} + 2H_2O \longrightarrow Al(OH)_{3(s)} + NaOH_{(aq)}$$

Aluminium hydroxide

Aluminium hydroxide is then filtered, washed with water, dried and heated to get pure aluminium oxide (alumina)

$$2Al(OH)_{3(s)} \xrightarrow{Heat} Al_2O_{3(s)} + 3H_2O_{(g)}$$

5. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किये बिना सेन्ट्रल ग्राउण्ड

वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान में हाईड्रो जियोलॉजिकल रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, शीघ्र ही सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी में आवेदन किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 13,232 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर एवं गहराई 6 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

7. परियोजना हेतु आवश्यक रॉ–मटेरियल का परिवहन जिला–कबीरधाम के बाहर से नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. उद्योग के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14 / 03 / 2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् वैज्ञानिक विधि से अपवहन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा। कूलिंग टावर, डी.एम. प्लांट, साफ्टनर प्लांट एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु न्यूट्रालाईजेशन कम सेटलिंग टैंक के साथ एसिड एवं एलकेलाईन डोजिंग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। उपचार उपरांत जल का उपयोग कूलिंग, हाईड्रेट वाशिंग, वृक्षारोपण, डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

16. परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित उत्पादन हेतु बॉक्साईट ओर का एक्सट्रेक्शन प्रक्रिया (Extraction Process) एवं स्मेल्टिंग प्रक्रिया (Smelting Process) नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना हेतु आवश्यक रॉ–मटेरियल का परिवहन जिला–कबीरधाम के बाहर से नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
2. परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित उत्पादन हेतु बॉक्साईट ओर का एक्सट्रेक्शन प्रक्रिया (Extraction Process) एवं स्मेल्टिंग प्रक्रिया (Smelting Process) नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
3. मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर – श्री जितेन्द्र व्यास), ग्राम–हरिनछपरा, तहसील–बोड़ला, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 203/1 तथा प्लाट नं. A1 एवं A2, क्षेत्रफल–1.9697 हेक्टेयर में प्रस्तावित **Aluminium Hydrate of capacity 19,900 TPA alongwith Steam generated Boiler of capacity 10 TPH** हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2(ख) खनिज सज्जीकरण [2(b) Mineral Benificiation] हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (बी–2 श्रेणी के अंतर्गत) दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर – श्री जितेन्द्र व्यास) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–
   i. उद्योग परिसर के भीतर तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   ii. सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
   iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र वन निर्माण' में किये जाने वाले वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. उद्योग परिसर के भीतर एवं सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण में सदाबहार स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण (End to end with proper drainage system) किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. परियोजना हेतु आवश्यक रॉ–मटेरियल का परिवहन जिला–कबीरधाम के बाहर से नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित उत्पादन हेतु बॉक्साईट ओर का एक्सट्रेक्शन प्रक्रिया (Extraction Process) एवं स्मेल्टिंग प्रक्रिया (Smelting Process) नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

20. मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर–श्री मुकेश कुमार जैन, कण्डोरा आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम–कण्डोरा, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2676)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 445337 एवं 23/09/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.75 हेक्टेयर एवं 90,017 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	पार्ट ऑफ 544/1	

भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सुशांत नायक, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – पार्ट ऑफ 544/1 क्षेत्रफल – 1.75 हेक्टेयर क्षमता – 90,356.31 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 28/01/2017	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–जशपुर
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हॉ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 350 नग। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित ग्राम पंचायत से प्राप्त कर प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 14/07/2023 2017 में 20,540 टन 2018 में 26,320 टन 2019 में 18,200 टन 2020 में 25,400 टन 2021 में 15,523 टन 2022 में 2,000 टन 2023 (मार्च तक) में 30,000 टन	अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कण्डोरा दिनांक 17/08/2002	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 23/12/2022	
500 मीटर	दिनांक 14/07/2023 अवस्थित खदानें–2, क्षेत्रफल – 3 हेक्टेयर	प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें प्रदर्शित हो रही है। समिति का मत है कि सभी खदानों के संचालन स्थिति से अवगत कराते हुए 500 मीटर का अद्यतन स्थिति में प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

200 मीटर	दिनांक 14/07/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर, पार्टनर– श्री मुकेश कुमार जैन अवधि – दिनांक 05/09/2002 से 04/09/2032 तक।	पूर्व लीज धारक – मेसर्स श्री विनोद कुमार जैन लीज डीड हस्तांतरण– दिनांक 20/08/2014
वन विभाग एन.ओ.सी.	आवेदित खदान से लगी हुई अन्य खदान (ग्राम–कण्डोरा, खसरा क्रमांक 544/1, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर) हेतु जारी एन.ओ.सी. को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध। वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर द्वारा जारी दिनांक 26/08/2002 आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र सीमा से बाहर है।	प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल एवं टोपोशीट में अवलोकन करने पर आवेदित खदान (क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर) की वन क्षेत्र की दूरी – 2 कि.मी., बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य की आकाशीय दूरी – 15 कि.मी. 10 कि.मी. की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्य नहीं है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – कण्डोरा 600 मीटर स्कूल ग्राम – कण्डोरा 750 मीटर अस्पताल – कुनकुरी 5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 650 मीटर राज्यमार्ग – 19.9 कि.मी.	सिरी नदी – 4 कि.मी. ईब नदी – 9.8 कि.मी. तालाब – 1.1 कि.मी. नहर – 3.2 कि.मी. मौसमी नाला – 1.25 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **क्वारी प्लान अनुसार रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 17,87,209 टन माईनेबल 6,45,111 टन रिकव्हरेबल 6,32,209 टन **वर्तमान में शेष रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 17,01,492 टन माईनेबल 5,59,397 टन रिकव्हरेबल 5,48,209 टन प्रस्तावित गहराई 45 मीटर (15 मीटर हिललॉक, 30 मीटर गहराई) बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 8 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 90,017 टन द्वितीय 89,992 टन तृतीय 90,009 टन चतुर्थ 89,877 टन पंचम 90,000 टन

उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,780 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी/ ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी /ओवर बर्डन अवस्थित नहीं है।	
जल आपूर्ति	मात्रा – 9 घनमीटर स्त्रोत – भू-जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 750 नग किया जाना है। वर्तमान वृक्षारोपण – 350 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 400 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि –12,08,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, खनन कार्य से होने वाले जन समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बाबत्, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:- 1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। 6. भारत सरकार के पर्यावरण, वन

		एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.75 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
19.25	2%	0.38	Following activities at Nearby, Village- Belghutri	
			Plantation around village pond	0.50
			Total	0.50

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 30 नग पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,500 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 7,000 रूपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 2,500 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 32,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा (खसरा क्रमांक 64, क्षेत्रफल 1.18 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि उक्त प्रस्ताव हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित ग्राम पंचायत से प्राप्त कर प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. अप्रैल 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र को के.एम.एल. से अवलोकन करने पर आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में 2 खदानों के अतिरिक्त अन्य खदानें प्रदर्शित हो रही है। अतः सभी खदानों के संचालन स्थिति से अवगत कराते हुए 500 मीटर का अद्यतन स्थिति में प्रमाण पत्र खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. खदान क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. सी.ई.आर. प्रस्ताव हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/02/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 05/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप 350 नग वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित ग्राम पंचायत कन्डोरा से प्राप्त कर प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भविष्य में ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त शासकीय भूमि पर 400 नग से 500 नग अतिरिक्त पौधे रोपित किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत कन्डोरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 170/खनि. शा./2024 जशपुर, दिनांक 23/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

माह	उत्पादन (घनमीटर)
अप्रैल, 2023	निरंक
मई, 2023	2,800
जून, 2023	4,300
जुलाई, 2023	निरंक
अगस्त, 2023	
सितम्बर, 2023	
अक्टूबर, 2023	
नवम्बर, 2023	
दिसम्बर, 2023	

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 184/ख.शा. /2024 जशपुर, दिनांक 26/02/2024 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।

4. खदान क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–बेलघुटरी के खसरा क्रमांक 64 में तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत बोडोकछार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 184/ख.शा./2024 जशपुर, दिनांक 26/02/2024 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदानें, क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कण्डोरा) का क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कण्डोरा) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 4.75 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर–श्री मुकेश कुमार जैन, कण्डोरा आर्डिनरी स्टोन माईन) को ग्राम–कण्डोरा, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर के पार्ट ऑफ 544/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.75 हेक्टेयर, क्षमता–90,017 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/08/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स विद्यासागर इन्फ्रास्ट्रक्चर (पार्टनर–श्री मुकेश कुमार जैन, कण्डोरा आर्डिनरी स्टोन माईन) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

   ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन

कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्य के सत्यापन हेतु जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स शिवम मिनरल्स (प्रो.– श्री श्याम सुंदर जाजोदिया), साई होम्स, विद्या नगर, जिला–बिलासपुर

ऑफलाईन आवेदन – श्री संजय कुमार खण्डेलिया, ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स शिवम मिनरल्स (प्रो. – श्री श्याम सुंदर जाजोदिया), ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु दिनांक 02/05/2024 को आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा के खसरा क्रमांक 2115, कुल लीज क्षेत्र 0.971 हेक्टेयर की है। पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन दिनांक 03/03/2017 द्वारा श्री संजय कुमार खण्डेलिया के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाम परिवर्तन हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है, जबकि परियोजना प्रस्तावक को विधिवत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार ऑनलाईन आवेदन किया जाना है।

साथ ही भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:—

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया जाना है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स शिवम मिनरल्स (प्रो.– श्री श्याम सुंदर जाजोदिया), साई होम्स, विद्या नगर, जिला–बिलासपुर

ऑफलाईन आवेदन – श्री संजय कुमार खण्डेलिया, ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स शिवम मिनरल्स (प्रो. – श्री श्याम सुंदर जाजोदिया), ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु दिनांक 02/05/2024 को आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा के खसरा क्रमांक 2115, कुल लीज क्षेत्र 2.023 हेक्टेयर, चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–45,000 टन प्रतिवर्ष की है। पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन दिनांक 09/12/2016 द्वारा उक्त क्षमता हेतु श्री संजय कुमार खण्डेलिया के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाम परिवर्तन हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है, जबकि परियोजना प्रस्तावक को विधिवत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार ऑनलाईन आवेदन किया जाना है।

साथ ही भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया जाना है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारूप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स शिवम मिनरल्स (प्रो.– श्री श्याम सुंदर जाजोदिया), साई होम्स, विद्या नगर, जिला–बिलासपुर**

ऑफलाईन आवेदन – श्री मुकेश कुमार जैन, ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स शिवम मिनरल्स (प्रो. – श्री श्याम सुंदर जाजोदिया), ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु दिनांक 02/05/2024 को आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खदान ग्राम–तरौद, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा के खसरा क्रमांक 2115, कुल लीज क्षेत्र 0.647 हेक्टेयर, चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष की है। पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन दिनांक 09/12/2016 द्वारा उक्त क्षमता हेतु श्री मुकेश कुमार जैन के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाम परिवर्तन हेतु ऑफलाईन आवेदन किया गया है,

जबकि परियोजना प्रस्तावक को विधिवत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार ऑनलाईन आवेदन किया जाना है।

साथ ही भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया जाना है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(अरूण प्रसाद पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

मेसर्स मुढ़पार लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री कमलेश देवांगन) को खसरा क्रमांक 31/1(पार्ट), 31/2(पार्ट), 33, 34, 60, 61, 62/1, 62/2, 63/2(पार्ट), 65/1(पार्ट), 65/2(पार्ट) एवं 65/3(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 1.84 हेक्टेयर ग्राम–मुढ़पार, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 25,001.25 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.84 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 25,001.25 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. क्लस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसी प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

10. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनमेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरूपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भराव के लिए किया जाए।

17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हांकित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से

अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

20. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

21. कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु प्रस्तावित कार्य 5 वर्ष के लिए राशि 6,10,861 रूपये के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

22. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56	2%	1.12	Following activities at, **Village- Mahkakala**	
			Pavitra Van Nirman	14.14
			Total	**14.14**

23. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, आम, करंज, कदंब, जामुन, आंवला, अमलतास, बरगद, पीपल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 60 नग पौधों के लिए राशि 38,456 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,13,000 रूपये, सिंचाई व खाद के लिए राशि 3,810 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,08,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,63,766 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,50,760 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत महकाकाला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 196, क्षेत्रफल 2.2 हेक्टेयर में से 0.5 एकड़) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

25. सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

26. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

27. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,348 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

28. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 365 नग पौधों का रोपण (कुल 1,713 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख–रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।

29. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।

30. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

31. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय

70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

34. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

35. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

36. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

38. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

39. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

40. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

41. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका

अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

46. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

51. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.आई.ए.ए.

अध्यक्ष, एस.ई.आई.ए.ए.